राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 3 तेरहवीं विधान सभा के तृतीय सत्र का पन्द्रहवां दिवस संख्या 11

मंगलवार,
21 जुलाई, 2009

राजस्थान विधान सभा की बैठक 1100 बजे
विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

अजमेर स्थित मुगल दुर्ग अकबर किले का जीर्णोद्धार

166. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा अजमेर स्थित मुगल दुर्ग अकबर किले के जीर्णोद्धार हेतु वर्ष 2006-07 में 1.80 लाख, वर्ष 2007-08 में 38.86 लाख व वर्ष 2008-09 में 61.14 लाख रुपये स्वीकृत किये गये थे ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त किले के एक हिस्से में सी.आई.डी. पुलिस का कार्यालय संचालित होने से उस हिस्से का जीर्णोद्धार कार्य नहीं करवाया जा सका ?

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वर्ष, 2007 में किला खाली करवाने का निर्णय लिया जा चुका है ? यदि हां, तो किला कब तक खाली करा लिया जायेगा ?

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): (1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

उक्त भवन को खाली कराये जाने के सम्बन्ध में विभागीय स्तर पर प्रयास किये जा रहे हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सी.आई.डी.) विदेश शाखा, जोन अजमेर ने सूचित किया है कि राज्य सरकार/नगर निगम अजमेर द्वारा आवंटित भूमि पर भवन निर्माण (जिसके लिये बजट आवंटित किया जा चुका है) पूर्ण होने तक उक्त भवन खाली किया जाना संभव नहीं है। इसमें लगभग एक वर्ष का समय लगने की संभावना है।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह मैं जानना चाहूंगी कि क्या यह भवन जो स्मारक के लिये पैसा स्वीकृत किया गया है। स्मारक की रिपेयर के लिये और रख-रखाव के लिये वह पैसा एक साल तक क्या ऐसे ही रखा रहेगा जब तक वह भवन खाली नहीं होगा तब तक ? वह पैसा लैप्स तो नहीं होगा ? पहला प्रश्न।

दूसरा, मेरा प्रश्न है कि अजमेर पर्यटन विभाग की ओर से एक मेगा प्रोजेक्ट बना करके केन्द्र सरकार को उसकी स्वीकृति के लिये भेजा गया था। क्या राज्य सरकार को उसकी स्वीकृति की सूचना मिल चुकी है ? यदि स्वीकृति मिली है तो उस प्रोजेक्ट के तहत क्या-क्या कार्य कराये जायेंगे औरिकतने लाख रुपये की स्वीकृति आयी है ?

तीसरा, मेरा प्रश्न यह है कि अजमेर के समस्त पर्यटक स्थलों तक पर्यटकों को ले जाने के लिये उनको सुविधा हो इसलिये एक सिटी ट्रांसपोर्टेशन का प्रोजेक्ट तैयार किया था, वह प्रोजेक्ट किस स्तर पर लम्बित है और कब तक उस प्रोजेक्ट को प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, अकबरी किला प्रोटेक्टिव मोन्यूमेंटस है और इतिहास के पन्नों में इस अकबरी किले की बहुत ही अहमियत है। यह किला 1570 में बनवाया गया था और उस वक्त रानी ऐलिजाबेथ ने मुगल कोर्ट में ...(व्यवधान)... अब मैं पहले बैठ जाऊं।

आज किस हाल में है तो आ रही हूं ना। मुगल कोर्ट आपको बताना चाहती हूं कि उसकी अहमियत क्या है। जब अहमियत हम समझेंगे 'कद्रे गौहर जानता है कोई शाह या जौहरी, हर बशर ने पाया नहीं मर्तबा पहचान का' आप जब तक इसकी कद्र ही नहीं समझोगे तब तक इसको ठीक कराने की भी बात नहीं होगी। तो मैं यह बताना चाहती थी कि क्वीन ऐलिजाबेथ ने अपने नुमाइंदे के रूप में सर थॉमस रॉ को मुगल कोर्ट में एम्बेसेडर अपाइंट किया था और जब भी शहंशाह अकबर अजमेर शरीफ तशरीफ लाते थे तो वह यहीं पर ठहरा करते थे लेकिन इसकी अहमियत और भी है खास तौर से सर थॉमस रॉ जब शहंशाह जहांगीर से ट्रेडिंग के बारे में बात करने जाते थे इसी किले के अन्दर वह बातचीत होती थी और एक इतिहास के पन्नों में यह भी लिखा हुआ है कि एक बार ऐसा भी वाकया आया था एक कोई झरोखा है उस झरोखे के अन्दर थॉमस सीढ़ी चढ़ करके शहंशाह जहांगीर से मिले थे तो इस वजह से इस किले की अहमियत बहुत है और इसको प्रोटेक्ट करने के लिये काम स्वीकृत हुए थे। 2006 से लेकर 2009 तक एक करोड़ एक लाख अस्सी हजार के कार्य हुए। हालांकि जो प्रपोजल था, जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनायी गयी थी वह 3 करोड़ के करीब थी लेकिन इसमें करीब 1.25 करोड़ का, 1.50 करोड़ का काम हुआ।

माननीय सदस्या ने पूछा है कि जो पैसा है वह लैप्स तो नहीं हो गया ? जी नहीं। टेण्डर जरूर हो गया था। टेण्डर लैप्स हो गया और एक एच.एच. हाई लेवल कमेटी होती है जिसमें यह अप्रूवल होती है। उससे अप्रूवल नहीं मिली इसलिये टेण्डर लैप्स हुआ लेकिन पैसा माननीय सदस्या लैप्स नहीं हुआ। तो इसमें करीब 95 लाख के जीर्णोद्धार के कार्य हुए जिसमें

परियोजना रिपोर्ट के ऊपर पैसा लगा, विद्युत के कार्य हुए, सीलन व नमी को रोकने के लिये कार्य किये गये थे। प्रायोरिटाइज कर लिया गया था कि 3 करोड़ में से जो-जो निहायती जरूरी हैं उनको पहले ले लिया जायेगा।

अब आती है जो सी.आई.डी. का दफ्तर इस किले के अन्दर मौजूद है। यातायात पुलिस का भी था जिसे खाली करवा लिया गया है। सी.पी.डब्ल्यू.डी. का एक गोदाम जो अबेंडेंट पडा है वह अभी वहां पर है और पुरानी तहसील तो थी वह खाली करवा कर एक म्युजियम बन गया है। एक नगर पालिका का कचरा डिपो भी वहां पर है। माननीय सदस्या की जो चिन्ता है वह वाजिब है और इसे खाली कराना बहुत जरूरी है। मैंने कल ही यह क्वेश्चन आने के बाद कलेक्टर, अजमेर से बात की है और उनसे भी मैंने रिकवेस्ट की है, शीघ्र ही निर्देश दिये हैं कि अपने सी.ई.ओ को वहां भेजें और पूरी वस्तुस्थिति की जानकारी लेकर पहले तो मुझे बताएं।

अब हमारे मुगले आजम भी यहां पर बैठे हुए हैं माननीय गृह मंत्रीजी। इनसे भी मैं बात करके शीघ्र ही ...(व्यवधान)... मुगले आजम। तो इनसे भी मैं रिकवेस्ट करके 31 लाख क करीब पैसा स्वीकृत हो चुका है सी.आई.डी. के आफिस का। नगर पालिका में जमीन फ्री दे दी है, पास में ही है तो उसके लिये भी मैंने डी.जी., पुलिस से बात की है। उसको भी वह शीघ्र खाली कराने का कार्य कर रहे हैं।

तीसरा, आपका जो कचरा डिपो भी खाली कराने की हम लोगों की ...(व्यवधान)... जो मेगा प्रोजेक्ट के बारे में माननीय सदस्या ने पूछा है। जब मैंने मेरा कार्य भार ...(व्यवधान)...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): बीना जी, कचरा भी मुगले आजम के पास है ?

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): सब कुछ मुगले आजम।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): कचरा भी मुगले आजम के पास ही है।

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): सर्व गुण सम्पन्न।

श्री अध्यक्ष: मुगले आजम, अनारकली का चर्चा यहां ज्यादा नहीं करना।

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, अजमेर से आने वाली माननीय सदस्या ने मेगा प्रोजेक्ट ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अनार का फूल कहो तो तो अध्यक्ष महोदय, समझ में आता है। अनार का फूल कहो तो समझ में, कली अब नहीं है।

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): अजमेर, पुष्कर ट्यूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में जो मेगा प्रोजेक्ट था। मेरे कार्य भार ग्रहण करने के बाद मैं स्वयं अंबिका सोनी जी से मिली थी और मुझे खुशी है कि उन्होंने उसी वक्त पैसे की स्वीकृति, एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन दे दी है। करीब 10 करोड़, 70 लाख की स्वीकृति हो गयी है जिसमें अकबर फोर्ट के रेस्टोरेशन के लिये 486.70 खर्च होगा, 1.80 लाइट एण्ड साउण्ड का काम करवाया जायेगा, 17.96 लाख जन सुविधाएं अजमेर के लिये खर्च होगा, 65.08 किंग एडवर्ड मैमोरियल में

डवलपमेंट के काम के लिये या स्वागत केन्द्र के लिये हम खर्च करेंगे, 9.93 रामप्रकाश घाट के ऊपर खर्च किया जायेगा, 250 लाख एक अजयपाल टैम्पल काम्पलेक्स है जंगल में लेकिन उसमें फोरेस्ट की स्वीकृति हमें चाहिये होगी। फोरेस्ट डिपार्टमेंट को लिख दिया गया है। वन विभाग हमसे डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट मांग रहा है। वह हम शीघ्र ही उनको भिजवा करके और जितना शीघ्र हो यह सब कार्य हम करवाने का प्रयास करेंगे माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय अध्यक्ष जी, मैंने एक प्रश्न और पूछा था ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: कोई बचा ही नहीं, सारी बातें करीब आ गयी। आगे प्रश्न आ जाने दीजिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): सिटी ट्रांसपोर्टेशन, माननीय अध्यक्ष जी, एक इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। यदि हम इन पर करोड़ों रुपया खर्च कर दें और पर्यटक को न मालूम हो कि वहां देखने लायक कोई स्थान है। वहां ले जाने के लिये कोई सुविधा नहीं हो तो वह पैसा हमारा व्यर्थ ही जायेगा इसीलिये मैं निवेदन कर रही हूं कि पिछली साल में अजमेर जिला प्रशासन ने एक सिटी ट्रांसपोर्टेशन के नाम से एक प्रोजेक्ट बनाया गया था वह प्रोजेक्ट भी राज्यसरकार के स्तर पर लम्बित है तो वह मैं पूछना चाहती हूं कि यदि वह निजी ट्रांसपोर्टर्स को अलग से सुविधा दी जाती है, निजी बस संचालकों को सुविधा दी जाती है तो वहां तक हम पर्यटकों को ले जा सकते हैं और हमारी आय भी बढ़ सकती है इसलिये निवेदन करना चाह रही हूं कि उसको कब तक आप स्वीकृति दे देंगे।

एक जो आपने बताया है ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: एक के बाद फिर दूसरी बात आ गयी। सारी चीज करीब-करीब क्लियर हो गयी है, ट्रांसपोर्ट की बात और क्लियर कर देते हैं।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): एक इसी से जुड़ा हुआ, आपने जो उत्तर दिया है उसी से संबंधित मेरा एक क्वेश्चन और है। अजयपाल के लिये आपने बताया कि 2 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं तो क्या केन्द्र सरकार ने उस स्वीकृति के साथ में कोई कंडीशन भी डाली है क्या ? माननीय मंत्री महोदया का ध्यान चाहूंगी। माननीय मंत्री महोदया, अजयपाल के लिये जो 2 करोड़ रुपये की राशि आपने बतायी है वह 2 करोड़ की राशि खर्च करने के लिये क्या केन्द्र सरकार ने कोई कंडीशन डाली है ? यदि वह कंडीशन डाली है तो उस कंडीशन को हम कब तक फुलफिल कर देंगे ? कब तक हम उस कंडीशन को पूरा कर देंगे ? यह और बता दीजिये आप।

श्याम/चौहान 21.07.2009 11.10 1b

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने पिछली सरकार की घोषणाओं का कहा, पिछली सरकार का तो वह पुलिंदा काफी बड़ा है जो घोषणाएं हो गयी लेकिन काम हुआ नहीं ...(व्यवधान)...

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): नहीं, घोषणा की बात नहीं है ...(व्यवधान)...

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): उनको मैं दिखवा लूंगी कि उस पुलिंदे में यह कहां पडी है, लेकिन मैं आपको सूचित करना चाहती हूं।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): मैं पुलिंदे की बात नहीं कह रही हूं, मैं सिर्फ इतना सा ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी का जवाब सुनें, जवाब सुनियें ...(व्यवधान)...

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): जेएनयूआरएम के तहत करीब 35 बसें आने की एक योजना है जो खरीदने का आर्डर दिया गया है जो कि पर्यटकों की और लोगों की सुविधा के लिए शीघ्र ही सड़कों पर भेज दिया जायेगा, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त। श्री बंशीधर खंडेला।

सहकारी बैंकों के चुनाव

167. श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1). क्या सरकार प्रदेश में सहकारी बैंकों के चुनाव करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2). क्या यह भी सही है कि राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लि. एवं राजस्थान राज्य भूमि विकास बैंक लि. के पूर्णकालिक प्रशासक लगाने से प्रतिवर्ष रू. 15.00 लाख का अतिरिक्त व्यय भार आता है? यदि हां, तो पूर्णाकलिक प्रशासक लगाने का क्या औचित्य है?

सहकारिता मंत्री(श्री परसादीलाल): (1). राज्य में सहकारी बैंकों के चुनाव राजस्थान राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा करवाये जाते हैं। राजस्थान राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों एवं केन्द्रीय सहकारी बैंकों के निर्वाचन हेतु एक निर्वाचन कार्यक्रम जारी किया है, जिसके अनुसार उक्त बैंकों के निर्वाचन दिनांक 17.08.2009 से 30.09.2009 तक संपन्न कराये जायेंगे।

(2). राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लि. में दिनांक 18.10.05 से दिनांक 31.12.07 तक रहे पूर्णकालिक प्रशासकों पर औसत वार्षिक व्यय रूपये 7.89 लाख तथा राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि. में विगत तीन वित्तीय वर्षों में रहे पूर्णकालिक प्रशासक पर औसत वार्षिक व्यय रूपये 11.92 लाख आया है। शीर्ष स्तर के उक्त बैंकों में व्यावसायिक दक्षता तथा कार्यक्षमता बढ़ाने की दृष्टि से पूर्णकालिक प्रशासक नियुक्त किया जाना उचित समझा गया है।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि पूर्णकालिक प्रशासक लगाने से रिकवरी में कितना प्रतिशत बढ़ा है या बैंक को और क्या सुविधा मिली हैं।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने अपने जवाब में कहा कि पूर्णकालिक प्रशासक से कार्य की दक्षता और बैंकों की रिकवरी में सुधार हुआ है,

कामकाज में सुधार आया है इसलिए इसमें जो भी लगाया है वह ठीक ही समझा है राज्य सरकार ने।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार ने जो ऋण माफ किये थे किसानों के उनमें से केवल मेरे प्रश्न पूछने के बाद ही किसानों को ऋण दिया गया है जबकि अब तक क्यों नहीं दिया गया। इस संबंध में सरकार की मनाही थी या उस संबंधित अधिकारी की मनमानी थी। केवल बीस दिन के अंदर-अंदर ऋण दिये गये हैं, अब तक एक ऋण भी नहीं दिया सीकर जिले में।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह तो अलग से सवाल है।

श्री अध्यक्ष: अलग प्रश्न है, इससे संबंध नहीं रखता है, इससे संबंध नहीं रखता है।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): विभाग से संबंधित है।

श्री अध्यक्ष: विभाग से तो बहुत चीजें संबंधित होती हैं पर्टिकूलर बैंक से संबंधित जो प्रश्न है।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): विभाग से संबंधित है लेकिन किसानों को ऋण नहीं देना, हमारे माननीय सदस्य के प्रश्न लगाने के बाद जब जवाब तैयार होने गया होगा ...(व्यवधान)...

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): जितना दिया है ऋण।

श्री अध्यक्ष: इस प्रश्न का जवाब ही नहीं आ रहा है जो अब पूछा गया है यह तो प्रश्न ही अलग है, बैठें माननीय सदस्य ...(व्यवधान)... यह तो प्रश्न ही अलग है ...(व्यवधान)... जो सप्लीमेन्ट्री पूछी गयी है उसका मूल प्रश्न से कोई संबंध ही नहीं है।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आपकी सरकार के समय ऋण माफी वाले को एक को भी ऋण नहीं दिया था। जो ऋण माफी की अभी हमने घोषणा की है, हमारी नयी सरकार के आने के बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सबको ऋण देंगे, उसके बाद ही ऋण देना शुरू किया है, आपके समय में नहीं किया।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार की जो आपने बात की है जो ऋण माफी हुई है वह केवल +++ जो किसान थे उनकी माफी हुई है ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य ऋण माफी का प्रश्न से संबंध ही नहीं है, आप प्रश्न पढ़ें तो सही एक बार ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, जब माननीय मंत्री महोदय ने ऋण माफी की बात कह दी तो ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: मैं अलाऊ ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो मना कर रहा हूं, प्रश्न से संबंधित ही नहीं है ...(व्यवधान)...

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, प्रश्न पूछने का अधिकार हमारा है ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री हरिसिंह रावत।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): इन्होंने खुद ने ऋण माफी की बात कहकर पूर्ववर्ती सरकार पर आरोप जड़े हैं ...(व्यवधान)... तो सवाल तो हम खड़े कर सकते हैं ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: श्री हरिसिंह रावत।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि आपने कितने किसानों को कितनी राशि के ऋण वितरित किये हैं ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त करें। वह प्रश्न ही अलग है, माननीय सदस्य वह प्रश्न ही अलग है ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): इनको जवाब नहीं देना था ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: वह प्रश्न ही अलग है ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): जब जवाब दे दिया तो सदन की संपत्ति हो गयी ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, मैं अलाऊ नहीं कर रहा हूं, कृपया बिराजें। श्री हरिसिंह जी रावत।

विधान सभा क्षेत्र भीम की बिलानाम एवं चरनोट भूमि पर बसी बस्तियों का नियमन

168. श्री हरिसिंह रावत (भीम): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र भीम के पंचायत मुख्यालय में बिलानाम एवं चरनोट की भूमि पर बसी बस्तियों की भूमि को आबादी में परिवर्तित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों?

श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़): यह गलत टिप्पणी की है किसान को +++ बताया है इसको सूची से निकाला जाये ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: कृपया बिराजें, आप बिराजें, मंत्री जी जवाब दे रहे हैं ...(व्यवधान)...

श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़): किसान को +++ बताया गया है इसे सूची से निकाला जाये ...(व्यवधान)... माननीय सदस्य ने +++ बताया है ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य बिराजें, मंत्री जी जवाब दे रहे हैं ...(व्यवधान)...

श्री नगराज (धरियावद): किसान को +++ बताने वाले सबसे पहले तो स्पष्टीकरण दें कि +++ किसान कौन होता है ...(व्यवधान)...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): एक गलत शब्द आ गया अध्यक्ष महोदय ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: क्या?

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): एक गलत शब्द आ गया उसको निकाल दें, वह कह रहे हैं वह ठीक ही कह रहे हैं ...(व्यवधान)...

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): अध्यक्ष महोदय, मेरा आश्य यह नहीं था ...(व्यवधान)...

श्री नगराज (धरियावद): +++ किसान कौन होता है और ईमानदार कौन है आप यह तो बतायें ...(व्यवधान)...

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): उसको आप +++ कह रहे हैं ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: +++ शब्द को एक्सपंज कर दें ...(व्यवधान)...

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): माननीय सदस्य उनको कहते हैं कि +++ किसान हैं ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: +++ शब्द एक्सपंज कर दिया है, माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, कृपया बिराजें ...(व्यवधान)...

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): कौन +++ है और कौन ईमानदार है ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आप कृपया बिराजें, माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं आप बिराजिये, वह शब्द एक्सपंज हो चुका है, कृपया आप राजस्व मंत्री जी, नहीं ठहरिये आप बैठें ...(व्यवधान)... प्लीज बैठ जायें।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): किसान +++ कौन होता है और ईमानदार कौन होता है।

श्री अध्यक्ष: वह एक्सपंज हो गया है आपको पता ही नहीं है ...(व्यवधान)...

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): किसान की कोई दो जातियां थोड़े ही होती हैं।

श्री अध्यक्ष: आप किस पर चर्चा कर रहे हैं आपको पता ही नहीं है, आपको जानकारी ही नहीं है ...(व्यवधान)...

राजस्व मंत्री (श्री हेमाराम चौधरी): विधान सभा क्षेत्र भीम के पंचायत मुख्यालय भीम की बिलानाम व चारागाह भूमियों में आबादी बसी हुई जिसमें कुल 359 परिवार जिनकी जनसंख्या 1414 है, निवास कर रहे हैं।

राज्य सरकार द्वारा परिपत्र क्रमांक प.9(6) राज/6/2000/1 दिनांक 11.01.2008 जारी किया जाकर 1.2.2000 तक सिवाय चक एवं अन्य गैर मुमकिन राजस्व भूमियों पर बनाये गये आवास गृह एवं बाडों के नियमन आदेश जारी किये हैं। पाँच सौ वर्ग गज तक के आवास गृहों एवं बोडों का नियमन तहसीलदार द्वारा किये जाने का नियमों में प्रावधान है।

राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.9(6) राज-6/2000/17 दिनांक 23.10.2001 जारी कर ऐसी सिवाय चक भूमियों, जिन पर आवास गृह एवं बाड़े बनाकर अतिक्रमण कर लिया

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

गया हो, को संबंधित ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित करने हेतु निर्देश जारी किये गये हैं। संबंधित ग्राम पंचायत से प्रस्ताव प्राप्त होने पर भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही की जाती है।

राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम, 1955 के नियम 7 में चारागाह भूमि को चारागाह से पृथक कर आबादी हेतु आरक्षित करने का प्रावधान है। चारागाह भूमि के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त होने पर तदानुसार कार्यवाही करने की नियमों में व्यवस्था है।

इस प्रकार के प्रकरणों में जन सामान्य को राहत पहुंचाने हेतु राज्य सरकार एक विशेष अभियान चलाने का विचार रखती है।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि यह जो आपने लिखा राज्य सरकार द्वारा परिपत्र क्रमांक प.9(6) राज/6/2000/1 दिनांक 11.01.2008 जारी किया जाकर 1.2.2000 तक सिवाय चक एवं अन्य गैर मुमकिन राजस्व भूमियों पर बनाये गये आवास गृह एवं बाड़ों के नियमन आदेश जारी किये हैं। पाँच सौ वर्ग गज तक के आवास गृहों एवं बाड़ों का नियमन तहसीलदार द्वारा किये जाने का निमयों में प्रावधान है। इसके अगेंस्ट में सरकार कोई वसूली करती है या इसको ऐसे ही अलाट करती है तो यह स्पष्ट करें।

दूसरा अभी जितने भी बाड़े और अतिक्रमण कर रहे हैं इसमें प्रशासन की नीचे से ऊपर तक तथा पुलिस की सभी कि मिलीभगत है और लाखों-करोड़ों की जमीनों पर कब्जा करवा रही है और गवर्नमेंट को चूना लग रहा है। तीसरा प्रश्न यह है कि इसी क्षेत्र में भीम बट्टू में प्रशासन द्वारा स्वयं कब्जे कराये जा रहे हैं और प्रशासन द्वारा स्वयं हफ़्ता वसूली की जा रही है।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि यह बाड़ों पर जो अतिक्रमण कर रहे हैं और फिर वसूली कर रहे हैं उस पर भी पाबंदी लगाने के लिए प्रावधान है क्या? इसी तरह भीमपलाड़ो में एक स्कूल के लिए जमीन आरक्षित करवायी थी, उस जमीन पर भी अतिक्रमण करवाकर आपके प्रशासन, पटवारी और आरआई द्वारा हफ़्ता वसूली कर ली जबकि मैंने कई बार बोला है कि यह स्कूल के लिए जगह आरक्षित है, इस पर जो अतिक्रमण कर रहे हैं उनको आप हटायें। वहां जाते हैं और घूमकर आ जाते हैं, शाम को वहां जाते हैं और शराब और मीट की पार्टियां करके वापिस चले आते हैं, होता कुछ भी नहीं है। एक बार फिर दबाव डाला तो एक दिन जेसीबी लेकर के गये और जेसीबी को घुमा-फिराकर वहां वापिस शराब की और मीट की पार्टी खायी और वापस चले गये। अध्यक्ष महोदय, मेरे पास फोटोग्राफी है ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: प्रश्न क्या है आपका?

श्री हरिसिंह रावत (भीम): वह सब अतिक्रमण किये हुए हैं, बच्चों के स्कूल की जमीन है, वहां पर अतिक्रमण किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा एक और बहुत बड़ा स्कैंडल हो रहा है, नेशनल हाइवे नम्बर 8 वहां पर राजकीय महाविद्यालय खुला है और एसडीएम आफिस के लिए जमीन अलॉट हुई है और वहां पर जमीन नहीं है।

jyg/usc/21.7.9/11.20/1c

तो वहां पर अभी कुछ हमारे जो कांग्रेस के नेता हैं, जो पूर्व विधायक भी हैं उन्होंने एक टीम गठित की है और उस टीम के माध्यम से क्योंकि आने वाले समय में वह जमीन करोड़ों की होगी तो वहां पर अध्यक्ष महोदय, पूरा अतिक्रमण करवा दिया जिसमें एक-एक...।

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछें, इसका जवाब देंगे, भाषण नहीं।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा कहने का मतलब है कि वह कब्जा हटेगा कि नहीं हटेगा। मैं इस कब्जे का थोड़ा विश्लेषण करना चाहता हूं। ग्राम टोकी, नेशनल हाई वे नम्बर एक, खसरा नम्बर ...(व्यवधान)... ।

श्री अध्यक्ष: केवल ग्राम बिलानाम और चरनोट से सम्बन्धित है आपका प्रश्न।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): बिलानामा और चरनोट, वहां पर वैसे ही जमीन कम है लेकिन अध्यक्ष महोदय उस पर अतिक्रमण करवा रखा है जिसकी मैंने सी डी बनवाकर मंगवाई है, सी डी मैं आपको सुपुर्द कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष: विराजिए मंत्रीजी को जवाब देने दें। प्रश्न बहुत लम्बा हो जाएगा, जवाब नहीं दे पाएंगे। आप जवाब आ जाने दीजिए।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): तो क्या मंत्री महोदय उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करने की व्यवस्था करेंगे? मैं सी डी टेबल कर सकता हूं, आप देख सकते हैं यह सी डी, यह करोड़ों रुपयों की जमीन है।

श्री अध्यक्ष: आप जवाब आने दीजिए फिर उतना लम्बा जवाब नहीं दे पाएंगे।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अतिक्रमण हटाने के बारे में प्रश्न पूछा ही नहीं था। माननीय सदस्य ने तो जो बस्तियां इस भूमि पर बस गई थी सिवाय चक या अन्य गैर मुमकिन राजस्व भूमि पर, उसको आबादी में परिवर्तन करने के बारे में पूछा है और यह जो एक ...(व्यवधान)... ।

श्री अध्यक्ष: खाली करने के बारे में भी पूछा है।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): नहीं, खाली करने के बारे में प्रश्न में नहीं पूछा है।

श्री अध्यक्ष: नहीं पूछा है।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): इन्होंने तो उस भूमि को आबादी में परिवर्तित करने का विचार रखती है, जो आबादी बस गई है, सिवाय चक भूमि है, उसको आबादी में परिवर्तित करने का विचार रखती है या नहीं रखती है। इसके बारे में मैंने माननीय सदस्य को बताया कि 1 फरवरी, 2000 का राज्य सरकार का जो सर्कूलर है उसका हवाला दिया, आपने भी अभी उसी सर्कूलर के बारे में बताया, यह सर्कूलर पूर्ववर्ती सरकार के समय जारी किया हुआ है और पूर्ववर्ती सरकार के ...(व्यवधान)... ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सरकार एक ही होती है, चाहे वह पूर्ववर्ती हो या पश्चातवर्ती।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): हां, सरकार एक ही है। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद हमने कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया है। यह आपकी सरकार के समय जो निर्णय लिया हुआ है उसी निर्णय की क्रियान्विति के लिए हमने कार्यवाही करने के लिए निर्देश दिए हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार ने जब एक बार निर्णय ले लिया कि 1 फरवरी, 2000 तक जो भी सिवाय चक या अन्य गैर मुमकिन जमीन पर बाड़े या आबादी बसी हुई है, आवास गृह बने हुए हैं उनका नियमन तहसीलदार कर दे, यह व्यवस्था नियमों में है, इसके तहत हम कार्यवाही करेंगे। इसके अलावा आपने स्कूल के बारे में बताया, जो जमीन स्कूल के लिए आरक्षित है, अगर उस पर किसी ने अतिक्रमण किया है तो उस पर से अतिक्रमण को तत्काल हटाने के लिए मैं अधिकारियों को आज ही निर्देश दे दूंगा। यह जानकारी आज ही मेरे ध्यान में लाई गई है तो मैं अधिकारियों को आज ही निर्देश दे दूंगा कि जमीन स्कूल की ही नहीं, किसी अन्य प्रयोजन के लिए भी आरक्षित है तो वह उसी काम में ली जाएगी, उसको अलग किसी दूसरे काम में नहीं लिया जा सकता और कोई अगर उस पर अतिक्रमण करेगा तो उस अतिक्रमण को तत्काल हटाया जाएगा और वह उसी प्रयोजनार्थ रखी जाएगी।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा जो सवाल है, जो अतिक्रमण किया है, उस अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही तो की जाएगी लेकिन साथ-साथ क्या उन पर कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जाएगी ताकि दूसरों पर प्रतिबन्ध लग सके, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री हरिसिंह रावत (भीम): मैंने आपको कहा है कि 1 फरवरी 2000 तक के जो कब्जे हैं और 500 वर्ग गज तक के हैं उनका तो नियमन करेंगे, उनको हम हटा नहीं सकते, यह निर्णय आपकी सरकार का लिया हुआ है तो एक तरफ तो यह निर्णय ले लिया तो दूसरी तरफ हम उनको हटाने की कार्यवाही नहीं कर सकते और 500 वर्ग गज से ज्यादा अगर किसी का अतिक्रमण है तो उसको तत्काल बेदखल कर देंगे।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो आपका प्रशासन करवा रहा है, वह खुद 90 की बात कर रहे हैं, 90 में आपका केस ले लेंगे और माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां पर हफ़्ता वसूली की जा रही है, एक-एक प्लॉट पर 50-50 हजार रुपए 2-2 लाख रुपए तक की वसूली कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: उन पर आज ही कार्यवाही करने के लिए कहा है।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): वह लोग कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। मेरा कहने का मतलब है कि जब लाखों रुपयों की वसूली की जा रही है और करोड़ों रुपए की जमीन है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: यह भीम विधान सभा क्षेत्र से सम्बन्धित है।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): इससे जुड़ा हुआ है।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें पुलिस प्रशासन भी मिला हुआ है। पुलिस प्रशासन और राजस्व विभाग, दोनों मिलकर यह कारस्तानी करवा रहे हैं। इस पर आप कुछ कार्यवाही करेंगे कि नहीं करेंगे, मुझे थोड़ा यह स्पष्ट करें।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या गोचर भूमि जो लगातार 30-365 सालों से लोगों के कब्जे में है और लगातार 91 की रसीद पटवारी के माध्यम से कटवाई जा रही है।

श्री अध्यक्षः उसी से सम्बन्धित पूछ रहे हैं न?

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): हां, उसी से सम्बन्धित पूछ रहा हूं। सरकार ऐसी गोचर भूमि का नियमन करने की मंशा रखती है ? अगर गोचर भूमि के अतिक्रमण का प्रावधान नहीं है तो क्यों नहीं सारे ऐसे लोग जो लगभग 50-50, 100-100, 200-200 बीघा गोचर की भूमि में अतिक्रमण करके उस पर खेती कर रहे हैं, जहां मतलब चारागाह हैं, गांव के पशु चराने के लिए, गांवों में ऐसे प्रभावशाली लोग हैं जिन्होंने गोचर पर कब्जा कर रखा है, उनको क्यों नहीं आप हटवाने का प्रयास करते हैं? इसका जवाब दें।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): मैंने जवाब दिया है कि अगर कोई अतिक्रमण है, नियमों के अलावा तो उसको तत्काल हटा दिया जाएगा। गोचर भूमि पर कोई भी अतिक्रमण किसी प्रकार का है और इस नियम के तहत उसका नियमन नहीं हो सकता, गोचर भूमि पर तो नियमन हो ही नहीं सकता, इसमें गोचर भूमि सम्मिलित नहीं है, इसमें सिर्फ सिवाय चक और गैर मुमकिन भूमि है, गोचर भूमि पर तो कोई भी कब्जा है वह अतिक्रमण है और अतिक्रमण है तो उसको तत्काल हटाने की कार्यवाही की जाएगी। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः प्रश्न आपके क्षेत्र से सम्बन्धित नहीं है।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): कहीं का अगर पर्टिकूलर मामला हो तो आप मुझे लिखकर दे दें, उस पर तत्काल निर्देश दे दूंगा, उस पर से तत्काल अतिक्रमण हट जाएगा।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने एक जगह कहा है कि गोचर भूमि से बहुत जल्दी ही अतिक्रमण हटा देंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप रेवेन्यू केसेज में ट्रेस पास केसेज की पूरे राजस्थान की अगर हिस्ट्री देखें तो लगभग 90 प्रतिशत केसेज गोचर भूमि से सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्षः पूरे राजस्थान की बात नहीं चल रही है, यह प्रश्न भीम से सम्बन्धित है।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): प्रत्येक गांव में दो सौ, तीन सौ व्यक्तियों का गोचर भूमि पर अतिक्रमण है। यह पूरे राजस्थान का विषय है, या तो सरकार इनका नियमन कर दे या जो अतिक्रमण है उसको हटाए। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः यह पूरे राजस्थान से सम्बन्धित नहीं है। प्रश्न को आप ज्यादा लम्बा नहीं करें, मंत्रीजी जवाब नहीं दे सकेंगे। अब चर्चा समाप्त, श्री रघु शर्मा।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि यदि आप गम्भीर हैं ...(व्यवधान)... ।

श्री अध्यक्ष: श्री रघु शर्मा।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत संवेदनशील विषय है, सारे राजस्थान की जनता इससे जुड़ी हुई है।

श्री अध्यक्ष: केवल एक प्रश्न एक विधान सभा क्षेत्र से था। ...(व्यवधान)... पंचायती राज मंत्रीजी। ...(व्यवधान)...

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह केवल एक विधान सभा क्षेत्र का प्रश्न नहीं है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: डा. रघु शर्मा।

विधान सभा क्षेत्र केकड़ी की बी पी एल परिवारों की सूची में
ए पी एल श्रेणी के परिवारों का नामांकन

169. डा. रघु शर्मा (केकड़ी): क्या पंचायतीराज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में कुल कितने बी पी एल परिवार हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि बी पी एल परिवारों की सूची में ए पी एल श्रेणी के परिवारों के नाम भी अंकित है? यदि हां, तो क्या सरकार बी पी एल सूची से ए पी एल श्रेणी के व्यक्तियों के नाम हटाने का विचार रखती है? यदिं हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री (श्री भरत सिंह कुन्दनपुर): (1) विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में कुल 8375 बी पी एल परिवार हैं।

(2) विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में बी पी एल परिवारों की सूची में ए पी एल परिवारों के नाम अंकित नहीं है।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में जो परिवार वास्तविक बी पी एल के हकदार हैं जो आपने नोर्म्स बना रखे हैं ऐसे और कितने परिवार हैं और आपका विभाग मानता है जो वह बी पी एल के अंदर आप नहीं ले पाए, क्या इस संख्या में वृद्धि करने का आपका कोई इरादा है? दूसरा, स्टेट बी पी एल कितने हैं केकड़ी विधान सभा क्षेत्र में? तीसरा, विगत महीनों में आपके विभाग के द्वारा बी पी एल की सूची को दुरुस्त करने का काम किया गया है? यह आप मुझे बता दें।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, केकड़ी ही नहीं पूरे प्रदेश में जहां तक बी पी एल का प्रश्न है 1992 के बाद दुबारा बी पी एल की सेंसस हुई और 2002 में बी पी एल की नई सूची लागू हुई, इस सूची के लागू होने के बाद ...(व्यवधान)... ।

श्री अध्यक्ष: आप कृपया जवाब सुने, मंत्रीजी प्रश्न केवल केकड़ी विधान सभा क्षेत्र तक सीमित रखें। ...(व्यवधान)... आप विराजिए, मुझे भी महत्व का पता है। आप विराजिए।

श्रीमती कमला कस्वॉ (सादुलपुर): माननीय मंत्रीजी, बी पी एल की सूची 2002 में लागू नहीं हुई है, 2002 में सर्वे हुआ है, 2005 में लागू हुई है, आप देख लें। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः जवाब आने दीजिए।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): हर 5 साल में बी पी एल का सर्वे केन्द्र सरकार करवाती है जो पहली सूची थी वह 1997 की सूची के अनुसार बी पी एल परिवारों को लाभंवित किया जा रहा है। 2002 में सूची का दुबारा सर्वे किया गया, जिसको आप लागू करने की बात कर रहे हैं, 2005 में वह लागू नहीं हो सकी थी क्योंकि उस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया, उसकी वजह से काफी लम्बे समय तक 1997 की सूची से ही लाभांवित किया जाता रहा। अब जहां तक इसका सवाल है, मैंने बता दिया कि केकड़ी में कितने लोगबाग इस बी पी एल सूची से लाभांवित हो रहे हैं। केन्द्र सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया है कि बी पी एल की सूची के अंदर लगातार नाम जोड़े जा सकते हैं और हटाए जा सकते हैं और यह प्रक्रिया प्रदेश में चालू है। जहां लोगबाग यह महसूस करते हैं कि बी पी एल की सूची में नाम जोड़ा जाना चाहिए उसको जोड़ने का उनके पास प्रोविजन है।

Gpc/usc/21072009/1130/1d

एसडीएम के माध्यम से और कलक्टर के माध्यम से अपील करके नाम जोड़ा जा सकता है और प्रदेश में लगभग दो लाख से ऊपर नाम जुड़े हैं और नाम कटे भी हैं। आप चाहो तो मैं पूरी संख्या आपको बता दूं कि कितने नाम जुड़े हैं और कितने नाम घटे हैं क्योंकि पहले जब 2002 की सूची के हिसाब से सूची तैयार करवायी गयी थी तब एक सीमा थी केन्द्र सरकार ने 17.36 लाख परिवारों के चयन की हमारे पास सीमा रखी थी, इस प्रोविजन के बाद जब उन्होंने यह व्यवस्था की कि नाम जोड़े जा सकते हैं, प्रदेश में कुछ नाम कटे हैं और कुछ नाम जुड़े हैं और आज लगभग इस सूची के अंदर 21 लाख से ज्यादा लोगों के बीपीएल की सूची में प्रदेश में है और यह जो पूरे प्रदेश की हमारे परिवारों की संख्या है उसमें 30 प्रतिशत परिवार इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः पहले मूल प्रश्नकर्ता।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): मंत्रीजी ने मेरे प्रश्न का सही-सही जवाब नहीं दिया। मैंने सीधा सवाल किया कि जो परिवार आपने वर्तमान में बीपीएल के बताये हैं क्या सरकार मंशा रखती है कि और भी बीपीएल की श्रेणी में परिवार आते हैं उस विधान सभा क्षेत्र में आप इस संख्या को बढा सकते हैं या नहीं बढ़ा सकते?

माननीय मंत्री महोदय, दूसरा आपने सीधा-सीधा जवाब दे दिया कि विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में बीपीएल परिवारों की सूची में एपीएल परिवारों के नाम अंकित नहीं हैं। अब मैं इस सदन में माननीय मंत्री महोदय को यह चुनौती देता हूं कि हमारे यहां जबसे मैं विधायक बना हूं यह बराबर प्रक्रिया चल रही है, जब लास्ट में बीपीएल सूची को अंतिम रूप दिया गया उस वक्त माननीय मंत्री महोदय की जानकारी में लाना चाहता हूं कि बीपीएल के नोर्म्स हैं, पहले

तो इनको सब जगह सार्वजनिक रूप से लगाना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद मोटे तौर पर यह माना जाता है कि ट्रेक्टर रखने वाला बीपीएल परिवार में नहीं आता, मोटरसाइकिल रखने वाला बीपीएल परिवार में नहीं आता है। मेरा सीधा-सीधा सवाल है मंत्री महोदय, जो वर्तमान में आपने सूची बतायी है 8375 की, क्या इस सूची में आप जिम्मेदारी के साथ कह सकते हैं एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिसके पास ट्रेक्टर हो, जिसके पास मोटरसाइकिल हो, जिसकी आर्थिक स्थिति एक बीपीएल परिवार से ज्यादा सुदृढ़ हो? अगर आप जिम्मेदारी के साथ कह सकते हैं तो आप सदन में बताइए।

दूसरा, स्टेट बीपीएल में कितने लोग आते हैं वो सूची आपने बतायी, संख्या बतायी नहीं। तीसरा आपके अधिकारियों ने, क्योंकि आपने कहा कि बीपीएल ...(व्यवधान)... एक तरफ आप कह रहे हैं बीपीएल में एपीएल कोई है ही नहीं, फिर आप सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर इसी सदन में कह रहे हैं कि यह कार्यवाही चल रही है। कार्यवाही जब चलती है जब गलत आदमी का नामांकन हो जाता है। मंत्रीजी का जवाब माननीय अध्यक्ष महोदय, यह है कि एक तरफ मंत्रीजी कह रहे हैं कोई एपीएल आदमी बीपीएल में नहीं है दूसरी तरफ आप कह रहे हैं यह प्रक्रियाधीन है, फिर किसको निकाला जा रहा है, बताइए।

श्री पेमाराम (धोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी से जुड़ा हुआ है ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: जवाब आने दीजिए। मूल प्रश्नकर्ता का जवाब आने दीजिए।

श्री पेमाराम (धोद): इसी से जुड़ा हुआ है, एक साथ ही जवाब आ जाए।

श्री अध्यक्ष: प्लीज, जवाब आने दीजिए।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, मैंने बहुत स्पष्ट कहा है कि बीपीएल सूची में इनके यहां एपीएल का कोई आदमी बीपीएल सूची में नहीं है। इन्होंने दूसरा प्रश्न किया कि क्या मैं दावे के साथ यह बात कह सकता हूं कि बीपीएल के अंदर कोई ऐसे परिवार नहीं हैं जो उसकी पात्रता नहीं रखते हैं। मेरी मान्यता यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना है कि इस प्रकार के लोग इस सूची में आ जाते हैं और यह आप और हमारा कर्तव्य है कि जो लोग-बाग़ इस सूची में नहीं आने चाहिए उनको हटाया जाए।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): फिर माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जवाब क्यों दिया?

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): दूसरी चीज क्योंकि इस सूची में बहुत सारे लोग-बाग़ जो वंचित रह गये उसके लिए हमारी सरकार ने घोषणा की है जो 1997 की बीपीएल की सूची है उसमें जो आदमी और इसके अंदर हो रह गये हैं उनको स्टेट बीपीएल सूची बनाकर वह प्रक्रियाधीन है, वह प्रोसेस ऑन है। जहां तक इसका नाम जोड़ने या हटाने का है वह तो आज भी नाम जोड़े जा सकते हैं और हटाये जा सकते हैं जिसकी पात्रता नहीं होगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, यदि आप अनुमति दें ...(व्यवधान)... माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जो लोग इस चीज के जिम्मेदार हैं, पहले तो ये गलत नाम किस अवधि में जुड़े और किन लोगों ने इन गलत नामों को जोड़ा? क्या जिम्मेदार लोगों की जिम्मेदारी तय की जाएगी और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जाएगी? यह जघन्य अपराध है उन बीपीएल परिवारों के साथ जिनको हक दिया जाता है, सुविधाएं दी जाती हैं और उनके नाम पर सुविधा संपन्न लोग उन सुविधाओं का लाभ उठाते हैं। क्या सरकार उन अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने गलत लोगों को बीपीएल की श्रेणी में रखा, कौनसी अवधि में रखा, एक तो अवधि बताएं और क्या कार्यवाही करना चाहती है सरकार, वह बताएं। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: परम नवदीप कुछ पूछ रही हैं, साथ में ही पूछ लें।

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं एक खबर पर, राजस्थान पत्रिका ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: प्रश्न से संबंधित है क्या?

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): पाइंट ऑफ इंफार्मेशन के तहत मैं कुछ कहना चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष: बैठिए, बैठिए, अभी नहीं।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): अध्यक्ष महोदय, मेरा जवाब पूरा नहीं हुआ है। ...(व्यवधान)...

श्री पेमाराम (धोद): अध्यक्ष महोदय, जो रघु जी ने पूछा है उसी से संबंधित सवाल है, मैं एक साथ ही पूछ लेता हूं। ...(व्यवधान)... रघु जी ने जो कहा वाकई में ठीक कहा ...(व्यवधान)... एपीएल के लोग जो बीपीएल में जोड़े गये और उसके बावजूद राजनैतिक कारणों से, हालांकि मंत्री महोदय ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी हैं और राज्य भर में जोड़े भी जाते हैं और हटाये भी जाते हैं। यह हमारे सीकर जिले में है 25.8.2006 को हमारे जोराठड़ा ग्राम पंचायत में एपीएल के ऐसे 20 लोग जिनके पास ट्रेक्टर हैं, 100-100 बीघा जमीन है, दो-दो, तीन-तीन ट्यूबवैल हैं और उसके बाद एसडीएम ने जांच कर ली, रिपोर्ट दे दी उसके बावजूद भी बीपीएल की सुख-सुविधाएं वे लोग ले रहे हैं और जो वाकई में बीपीएल में आ रखे हैं उनकी बीपीएल सूची तो क्या स्टेट बीपीएल में भी नहीं हैं?

श्री अध्यक्ष: विराजिए, जवाब आने दीजिए। जवाब दे रहे हैं।

श्री पेमाराम (धोद): मेरा निवेदन है कि क्या ऐसी रिपोर्टों को राज्य में हटाएंगे?

श्री अध्यक्ष: जवाब आ रहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष जी, आप कहें तो मैं भी लगे हाथ छोटा सा पूछ लूं। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: लगे हाथ आप भी पूछ लो।

श्री प्रकाश चन्द चौधरी (बड़ी सादड़ी): माननीय अध्यक्ष जी, जो बीपीएल परिवार की बात चल रही है, जो लोग करोड़पति हैं उनके नाम बीपीएल में हैं और जो लोग रोडपति हैं उनके नाम बीपीएल में नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय आपसे पूछना चाहूंगा ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र सिंह गुढा (उदयपुरवाटी): अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं ...(व्यवधान)... आप हमेशा बोलते रहते हो। ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मेरा नाम पुकार लिया। ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र सिंह गुढा (उदयपुरवाटी): अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: इनसे तो ये भी डरते हैं।

श्री राजेन्द्र सिंह गुढा (उदयपुरवाटी): अध्यक्ष महोदय, आप शेखावाटी से बिलोंग करते हो, श्रीमाधोपुर क्षेत्र से आते हो, मेरा क्षेत्र उदयपुरवाटी है। हमारे शेखावाटी क्षेत्र में मेरे विधान सभा क्षेत्र के अंदर हजारों शिड्यूल्ड कास्ट के परिवार जो भट्टों के अंदर बंधक मजदूर के रूप में काम करते हैं, जुलाई के अंदर वो आते हैं, सितम्बर के अंदर वे चले जाते हैं और वो सारे के सारे परिवार बीपीएल की सभी शर्तें पूरी करते हैं। उन परिवारों की स्वास्थ्य की हालत बेहद खराब है, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है वो लोग शेखावाटी के अंदर ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: बैठिए आप। माननीय सदस्य, आप बैठिए।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): आपने तो धोखा दे दिया। आप तो शिड्यूल्ड कास्ट वालों को धोखा देकर कांग्रेस में चले गये।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपको इजाजत नहीं है। माननीय सदस्य, विराजें। ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र सिंह गुढा (उदयपुरवाटी): अध्यक्ष महोदय, शिड्यूल्ड कास्ट के परिवार जो ईंट-भट्टों पर बंधुआ मजदूर के रूप में काम करते हैं उन परिवारों की संख्या शेखावाटी क्षेत्र के अंदर हरियाणा और पंजाब के अंदर वो भट्टों पर काम करते हैं उन परिवारों की जो दयनीय स्थिति है उसका सर्वे कराया जाए और बीपीएल की सभी शर्तों को पूरा करते हैं, मतदाता सूची में उन सबका नाम होने के बावजूद वो लोग यहां रहते हैं। उस टाइम ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: विराजें, जवाब आने दीजिए मंत्री जी का।

श्री राजेन्द्र सिंह गुढा (उदयपुरवाटी): मेरा पूरा प्रश्न ही नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष: भाषण हो रहा है, प्रश्न नहीं हो रहा है।

श्री राजेन्द्र सिंह गुढा (उदयपुरवाटी): अध्यक्ष महोदय, आप भी उस क्षेत्र से आते हो।

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछ लीजिए सीधा, भाषण नहीं।

श्री राजेन्द्र सिंह गुढा (उदयपुरवाटी): उन परिवारों के अंदर 40-50 साल की उम्र के अंदर टीबी होकर मर जाते हैं, उनके फेफड़े खराब हो जाते हैं और वे सारे के सारे लोग, उनका सर्वे कराया जाए उनमें बीपीएल के अंदर 5 परसेंट लोग भी नहीं हैं, बीपीएल की सभी शर्तों को

पूरा करते हैं, जैसा धोद से आने वाले सदस्य ने कहा हकीकत में वे लोग बीपीएल के अंदर घुस गये हैं जिनके पास 100-100 बीघा जमीन है, तीन-तीन मंजिला मकान है।

श्री अध्यक्षः विराजिए, विराजिए।

श्री राजेन्द्र सिंह गुढ़ा (उदयपुरवाटी): घर में सब सामान है उनको बाहर कराया जाए। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः मंत्रीजी, जवाब देंगे। ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम पुकारा है आपने। अध्यक्ष जी, एक मिनट ...(व्यवधान)...

एक माननीय सदस्यः दूसरों को भी बोलने का मौका दिया करो राठौड़ साहब।

श्री अध्यक्षः विराजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा आपने कहा कि 2002-03 में 17 लाख 3 हजार बीपीएल परिवार थे जो आज बढ़कर 21 लाख से ज्यादा हो गये। क्या 17 लाख से ज्यादा बढ़े हुए परिवारों को जो बीपीएल की सुविधा मिल रही है क्या राज्य सरकार अपने संसाधन से नहीं दे रही है? क्या यह सही है इस बढ़ी हुई संख्या को स्टेट बीपीएल का नाम देकर सरकार लोगों को गुमराह करना चाहती है? क्या यह भी सही है कि 2007 और 2012 के लिए बीपीएल परिवारों के नये सिरे से सर्वे के लिए भारत सरकार से आपको निर्देश प्राप्त हो चुके हैं, कृपया बताएं।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, सर्वप्रथम जो मूल प्रश्नकर्ता है उनके प्रश्न का उत्तर देता हूं। जो बीपीएल परिवार का चयन होता है यह तो ग्राम सभा करती है और ग्राम सभा के अंदर जो चयन हो रहे हैं उससे हमारी ग्राम सभा के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। यह हकीकत है। यह जो ग्राम सभा का स्वरूप हो गया कि पंचायत राज के ...(व्यवधान)... यह प्रश्न चिन्ह ग्राम सभा पर लगा हुआ है और ...(व्यवधान)... आप सुनिये मेरी बात।

श्री अध्यक्षः आप डिस्टर्ब न करें। डिस्टर्ब न करें, जवाब आने दीजिए।

मोहन/चौहान/21072009/1140/1e

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आप सुनिए उत्तर और जो माननीय सदस्य ने उठाया कि नाम, क्या मैं दावे से यह कह सकता हूं कि नाम इसमें इस प्रकार के नहीं हैं जो पात्रता नहीं रखते हैं? उनके नाम हैं। निश्चित रूप से होंगे, वह सदस्य उजागर करें। मैं आपसे भी कहता हूं इस प्रकार के लोग बागों को उजागर करें और एक सदस्य यहां सदन में पर्ची लहरा कर कहे तो यह आपकी आप दर्शा रहे हैं, आप अपनी कमजोरी दर्शा रहे हैं कि वह एमएलए होते हुए इनका नाम नहीं कटा सका। यह आप नहीं कटा सके तो दूसरा आदमी क्या कटाएगा? यह विडम्बना है कि अगर कोई अभी सदस्य हां

का सदस्य, जो माननीय सदस्य यह बात प्रश्न करे कि यह गलत नाम जुड़े हुए हैं ......(व्यवधान)......

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): कांग्रेस ने जुड़वाए हैं, इसलिए नहीं कट रहे हैं ......(व्यवधान)......

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बिराजें..(व्यवधान)..माननीय सदस्य, कृपा करके आप बिराजें....(व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य: जो गलत नाम जुड़वाते हैं उनको आपका संरक्षण मिला हुआ है। ......(व्यवधान)......

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बिराजें, मंत्री जी का जवाब आने दें ....(व्यवधान)......

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, मैं तो आपसे, सदन से यहां पर अनुमति चाहूंगा कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना चल रही है उसमें लाखों लोग बाग़ रोजगार में काम कर रहे हैं, अनेक लोग-बाग़ जो बीपीएल की पात्रता रख रहे हैं वह काम पर नहीं जा रहे हैं, आप सर्वसम्मति से अगर ले लें तो हम उनको हटा दें पूरे को ......(व्यवधान)...... बीपीएल परिवार पात्रता रखने वाला आदमी जिसको आप कहते हैं कि घड़ी बांधता है, ट्रेक्टर लाता है, उसने बीपीएल में नाम लिखवा लिया, आप प्रस्ताव मुझे दें तो हम एक तरफ ऐसे लोगों को जो पात्रता रखते हैं, अगर बीपीएल में नाम है तो कटवा दें ......(व्यवधान)......

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद, बिराजें ......(व्यवधान)......

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): आपको एसडीएम ने रिपोर्ट कर दी इसलिए नाम नहीं हटाता है ......(व्यवधान)......

श्री अध्यक्ष: डा. राजकुमार शर्मा।

एक माननीय सदस्य: अध्यक्ष महोदय, एक सैकण्ड चाहूंगा मैं।

श्री अध्यक्ष: डा. राजकुमार शर्मा। वह प्रश्न गया, चर्चा समाप्त।

एक माननीय सदस्य: एक सैकण्ड के लिए।

श्री अध्यक्ष: अलग से आप जब डिबेट हो तो उस पर चर्चा कर लें। ग्रामीण विकास की आज डिबेट है, पूरा दिन आपके लिए है।

आवश्यक प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया का सरलीकरण

170. डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में मूल निवास, जाति प्रमाण-पत्र, विवाह पंजीयन प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए वर्तमान में उप खण्ड मुख्यालयों व जिला स्तर पर क्या व्यवस्था निर्धारित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जटिल प्रक्रिया, अव्यवस्था व अधिकारियों/कर्मचारियों के समय पर नहीं मिल पाने के कारण उक्त प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए आम जनता को बार-बार चक्कर लगाने पड़ते हैं और उन्हें प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में भारी असुविधा होती है? यदि हां,

तो क्या सरकार वर्तमान व्यवस्था में सुधार के लिए कदम उठाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या?

(3) क्या यह सही है कि वर्ष 1998 से 2003 के बीच सरकार द्वारा प्रशासन गांवों की ओर अभियान चलाया गया था जिसमें उक्त कार्यों के अलावा आम जनता से जुडे हुए अन्य कार्य भी अभियान स्थल पर हाथोंहाथ निपटाये गये थे? यदि हां, तो क्या सरकार पुन: वैसा ही अभियान चलाकर आम जनता को राहत प्रदान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

गृह मंत्री (श्री शांती कुमार धारीवाल) : (1) राज्य में मूल निवास प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए उप खण्ड मुख्यालय/तहसील मुख्यालय पर प्रार्थी को आवेदन करना होता है। प्रार्थी द्वारा आवेदन किये जाने पर मूल निवास प्रमाण-पत्र उप खण्ड मजिस्ट्रेट/तहसीलदार द्वारा जारी किये जाते हैं। जिला मुख्यालय पर इस हेतु जिला कलक्टर द्वारा अधिकारी प्राधिकृत हैं जिन्हें प्रार्थी को आवेदन करना होता है व प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा ही मूल निवास प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।

राज्य में जाति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु तहसील मुख्यालाय पर प्रार्थी को आवेदन करन होता है व प्रार्थी द्वारा आवेदन किये जाने पर तहसीलदार द्वारा जाति प्रमाण-पत्र जारी किये जाते हैं। जिला मुख्यालय पर जिला कलक्टर द्वारा इस हेतु अधिकारी प्राधिकृत हैं। प्रार्थी को प्राधिकृत अधिकारियों को आवेदन करना होता है व प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा ही जाति प्रमाण-पत्र जारी किये जाते हैं।

राज्य में विवाह पंजीयन हेतु प्रार्थी को ग्राम पंचायत क्षेत्र में सचिव, ग्राम पंचायत तथा नगरीय क्षेत्रों में अधिशाषी अधिकारी/आयुक्त स्थानीय निकाय को आवेदन करना होता है। जिला मुख्यालय पर स्थानीय निकाय या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को आवेदन करना होता है तथा उसके पश्चात् उक्त अधिकारियों द्वारा विवाह पंजीयन कर प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।

विशेष विवाह अधिनियम के तहत जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कोर्ट मैरिज सम्पन्न करा कर उस विवाह का पंजीयन किया जाता है।

(2) जी हां। इस प्रकार की समस्या आती रहती है। ऐसी समस्या के निराकरण हेतु यकार्यवाही राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन है।

(3) जी हां। माननीय मुख्य मंत्री द्वारा वर्ष 2009-10 के बजट प्रस्तावों पर बहस के पश्चात् उनके जवाब में दिनांक 15-07-2009 को की गई घोषणा के अनुसार पंचायत स्तर पर विशेष राजस्व कैम्प का आयोजन शीघ्र किया जाना प्रस्तावित है।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के भाग एक में आपने मूल निवास व जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया बताई है। मैं आपकी स्पष्टवादिता का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने स्वीकार किया है कि आम जनता को बहुत तकलीफ होती है। इस प्रमाण पत्र को बनाने के लिए, आज मूल निवास प्रमाण पत्र को बनाने के लिए अच्छे

अच्छे लोगों के पसीने आ जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, उससे 10-10, 20-20 साल, 15-15 साल के रिकार्ड मांगे जाते हैं। वह राशन कार्ड वहां पर जमा करा देता है तो उसको कहते हैं कि आपकी जमीन के कागजात लेकर आओ, जमीन के कागजात दे देता है तो उसके बाद उसको यह कहा जाता है कि आपके आठवीं क्लास से लेकर आज तक जो पढ़े हो, वहां की एक एक कक्षा के वह लेकर आओ, सारे दस्तावेज लेकर आओ। उसके बाद में भी वह अगर जाता है, दुबारा, तो उसको कहते हैं कि पानी, बिजली के पिछले 10 साल, 15 साल पुराने बिल लेकर आओ। ऐसी ऐसी समस्याएं उसके सामने उत्पन्न करते हैं कि वह पागल हो जाता है, प्रमाण पत्र तो मिलने की बहुत बाद की बात है। जन्म तिथि, शिक्षा के दस्तावेज, जिस स्कूल में पढ़ा हुआ है, वह सारे मांगते हैं। मेरा सवाल यह है कि क्या आप मूल निवास प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया का सरलीकरण करने का विचार रखते हैं। दूसरा, अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि अशोक गहलोत जी की जो सरकार थी 1998 से 2003 के बीच में तो ''प्रशासन गांवों की ओर'' एक विशेष अभियान चलाया गया था, जिसकी पूरे गांवों में, पूरे राजस्थान में प्रशंसा हुई थी और प्रमाण पत्र भी उसी समय उसी कैम्प में हाथोंहाथ बनाये गये थे। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं, बजट पर चर्चा का उत्तर देते हुए घोषणा भी की है कि भू-राजस्व तथा आम जनता से संबंधित विभिन्न समस्याओं के लिए विशेष राजस्व कैम्प का आयोजन शीघ्र किया जाएगा। मैं माननीय मंत्री महोदय, आपसे मैं प्रश्न करना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी ने जो घोषणा की है, वह रेवेन्यु कैम्प कब तक आयोजित किये जाएंगे। ......(व्यवधान)...... यह आप लोग इसलिए नहीं समझ पाये, इन कैम्पों को, क्योंकि उस दिन आपने मुख्य मंत्री जी को बोलने नहीं दिया ......(व्यवधान)......

श्री अध्यक्ष: चलिए, चलिए। छोड़िए, आप तो इस प्रश्न के बारे में बोलें...(व्यवधान)...

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): यह मेरा आपसे सवाल है, मंत्री महोदय।.(व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष: प्रश्न का जवाब दें ......(व्यवधान)...... कोटा का मामला है क्या?

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): नहीं, नहीं। उनको मैं जवाब दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष: आप बिराजो, आप उनकी बात आने दो ......(व्यवधान)......

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): मेरे मूल प्रश्न का पूरा जवाब आ जाए उसके बाद उनको सप्लीमेंटरी कर लेने दें ......(व्यवधान)......

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): देखिए, खण्ड 2 में भी इस बात को स्वीकार किया है कि इस प्रकार की समस्या आती रहती है, निश्चित तौर पर आती है। एक व्यक्ति जो इंटिरियर विलेजेज में रहता है, उसको तहसीलदार के पास, चाहे एसडीओ हैड क्वार्टर भी अगर मान लीजिए तहसील मुख्यालाय पर है या किसी पंचायत मुख्यालय पर है तो वहां तक जाना पड़ेगा। उसके बाद में फिर उसको नोटेरी करवाने के लिए अलग जाना पड़ेगा, सर्टिफिकेट लेने के लिए उसको स्कूल में अलग जाना पड़ेगा तो इस प्रकार की कई प्रकार की वह आती हैं लेकिन सरकार के पास कई सुझाव अभी विचाराधीन हैं। मैं आपसे भी यह निवेदन करूंगा,

आप भी विद्वान सदस्य हैं, अगर कोई आपके पास सुझाव हों तो उनको भी आप दे दें ताकि उन पर भी विचार कर लिया जाए। जो सुझाव हमारे पास आए हैं उनको मोटे तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आप उससे संतुष्ट हैं तो कोई बात नहीं और कोई दूसरे सुझाव हों तो वह जरूर देवें। ग्रामीण क्षेत्रों में, अध्यक्ष महोदय, मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जो प्रक्रिया अभी है, वह संशोधित प्रक्रिया हमारे विचाराधीन है। मोटे तौर पर अभी प्रार्थियों को एसडीओ के पास या तहसीलदार के पास जाकर के दरख्वास्त देनी पड़ती है, एसडीओ के पास दरख्वास्त दोगे तो वह तहसीलदार के पास भेजेगा, तहसीलदार के पास दरख्वास्त दोगे तो दरख्वास्त अल्टीमेटली वह पटवारी के पास जाएगी, पटवारी मौके पर मिलते नहीं हैं, पटवारी ज्यादातर शहरों में रहते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं हैं। ऐसा भी मेरे पास एक ज्ञापन आया है जिसमें प्रार्थी ने यह कहा, जब मैं पटवारी के पास गया और कहा कि मुझे मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाना है तो उसने कहा कि ठीक है, बैठ जा, मैं अभी थोड़ी देर में चलता हूं। जब वह निपट कर बाहर आया तो उसने कहा कि यह मोटर साइकिल मेरी ले जा, पहले तो इसमें पेट्रोल भरवा ला ......(व्यवधान)...... हां, यह राज कैसा भी हो, समस्या जो है, मैं स्वीकार कर रहा हूं, उस समस्या को स्वीकार कर रहा हूं। तो इस प्रकार की कई प्रकार की समस्याएं हैं। सुझाव जो आया है ......(व्यवधान)......

श्री अध्यक्ष: सुझाव थोड़े ही, प्रश्न काल चल रहा है, इनका जवाब मंत्री जी।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सुझाव जो आया है वह मोटे तौर पर यह आया है कि मूल निवास ......(व्यवधान)......

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): इन्होंने स्वीकार कर लिया कि मोटर साइकिल में पेट्रोल भरवाता है और भरवाने के लिए आपने स्वीकार किया तो आपने उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की?

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अजी, आप बिराज जाओ, मैंने जो कार्यवाही की, आप मेरे चैम्बर में आ जाना, मैं बता दूंगा ......(व्यवधान)......

श्री अध्यक्ष: समाप्त करें, समाप्त करें।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मोटे तौर पर जो सुझाव आया है, वह सुझाव यह है कि चूंकि मूल निवास प्रमाण पत्र के बाबत अगर कोई व्यक्ति जानकारी रखता है तो वह लोकल आदमी जानकारी रखता है, अगर पंचायत का सरपंच या उप सरपंच, ग्राम पंचायत का ग्राम सेवक या प्रार्थी जिस वार्ड में रहता है, उस वार्ड का पंच तो इस प्रकार की जो सारी प्रक्रिया है, यह विचाराधीन है। अगर इन तीनस के समक्ष ......(व्यवधान)......

श्री अध्यक्ष: समाप्त करें।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): हैं ?

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री अमराराम।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): अध्यक्ष महोदय, अभी मेरा इससे संबंधित सवाल बाकी है।

श्री अध्यक्ष: श्री अमराराम।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): अध्यक्ष महोदय, अभी सवाल बाकी है।

Skp/akt/21.07.2009/11.50/1f

विधान सभा क्षेत्र दांतारामगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों हेतु पेयजल योजनाएं

171. श्री अमराराम (दांतारामगढ़): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र दांतारामगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र की कौन-कौनसी पेयजल योजनाएं स्वीकृत हैं तथा कौनसी योजनाएं प्रक्रियाधीन हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र दांतारामगढ़ के ग्राम दांता, रामगढ़, उदयपुर, अहीर का बास, दौलतपुरा, पून्याणा, अणदपुरा, प्रेमपुरा, नांगल सुरेरा, मन्ढा (सुरेरा), नयाबास, अखेपुरा, डूकिया, कोठोर, दातला, पिलीया की ढाणी, गोवटी, राड़की ढाणी, मोहनपुरा, रायपुरा, सामेर, दूधवा, बड़का चारणबास, दलतपुरा, सजनपुरा, बाज्यावाय आदि ग्रामों के लिए पेयजल आपूर्ति हेतु कोई नवीन योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक व नहीं, तो क्यों?

श्री महिपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): (1) विधान सभा क्षेत्र दांतारामगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र हेतु 8 पेयजल योजनाएं स्वीकृत हैं एवं वर्तमान में किसी भी पेयजल योजना के प्रस्ताव स्वीकृति हेतु लम्बित नहीं हैं। स्वीकृत योजनाओं की प्रगति का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। भारत सरकार द्वारा "राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम" (दिनांक 01.04.2009 से प्रभावी) के अन्तर्गत जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप, आवश्यकतानुसार गांवों हेतु नवीन प्रस्ताव बनाये जाकर संसाधनों की उपलब्धतानुसार क्रियान्विति किया जाना प्रस्तावित है। वर्णित ग्रामों/ढाणी में वर्तमान पेयजल व्यवस्था का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर उपलब्ध है।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि ये जो 8 परियोजनाएं आपने स्वीकृत बताई हैं इनमें आपने कहा है कि इनका नये निर्देशों के अनुसार पुनर्निरीक्षण किया जा रहा है तो कब तक इन 8 परियोजनाओं को पूर्ण कर दिया जाएगा? यह पुनर्निरीक्षण कार्य कितने समय में करके इसका वर्क चालू करके कम्पलीट कर दिया जाएगा?

दूसरा, मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करें कि दांता जिसकी आबादी 17 हजार से अधिक है और आज तक भी एस.आर. टैंक नहीं बना हुआ है तो क्या ऐसे और भी कोई गांव हैं जिनकी आबादी 17 हजार की हो और जिसमें एस.आर. टैंक नहीं हो?

तीसरा, आपका प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन 70 लीटर का मापदण्ड है और मैंने जितने ये 27 गांवों की सूची दी है इनमें हालत यह है कि कहीं भी दांता में 17 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन

है, उदयपुर में 17 है, कईयों में तो जीरो है, एक भी गांव ऐसा नहीं है जहां 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की पानी की सप्लाई हो तो मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि इन गांवों में आप 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से यह योजना बनाने का निर्देश देकर के कब तक पूरा कराने का काम करेंगे?

श्री महिपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, दांतारामगढ़ विधान सभा क्षेत्र में 241 गांव हैं और पहले की योजनाओं के अनुसार 211 गांवों में पेयजल की योजना उपलब्ध है। 17 पाइप लाइन है, 106 पम्प एण्ड टैंक हैं, 16 क्षेत्रीय है और 72 हैण्डपम्प स्वीकृत हैं। जिन 9 योजनाओं के बारे में आपने कहा है, जल प्रदाय योजना खाटूश्यामजी, लांबिया, नोसाल, बाय और कुली की तो स्वीकृति हमने निकाल दी है और जो नई गाइड लाइंस आई हैं उनके अनुरूप इनके संसाधन के लिए गाइड लाइंस के अनुसार हम टेक्नीकली एग्जामिन कराकर के शीघ्र चालू कर देंगे।

जहां तक ग्राम दांता की बात की है तो ग्राम दांता की आबादी वैसे तो वर्ष 2001 में 14572 थी परन्तु वर्तमान में 17586 इसकी जनसंख्या है। सुलियावास पर एक लाख लीटर के तीन जीएलआर बने हुए हैं और वह इतनी पहाड़ी पर हैं, इतनी हाइट पर हैं कि एसआर का कार्य कर रहे हैं। ऊँचाई होने पर अच्छा प्रेशर बना रहता है और दांता के अंदर पानी भी उपलब्ध हो रहा है जो नेचुरल स्टेजिंग के हिसाब से पानी आ रहा है। वैसे अभी सुलियावास के अन्दर 6 नलकूप खुदे हुए हैं और यह एक ही जगह हैं 100 मीटर की पैराफेरी है जहां यह पानी उपलब्ध है। जीसी पेच, इस पेच को तलाई कहते हैं और यहीं पर नलकूप लगाये हुए हैं। तीन नलकूप इनकी बस्तियों के लिए जहां पर टेल एंड पर पानी नहीं पहुंच रहा था उनके ऊपर भी तीन नलकूप खोदे गये हैं वो हैं गडिया की ढाणी, नीमावास रास्ते पर और मालियों की ढाणी। जहां तक आपके यह सी डब्ल्यू आर बनाने, पम्पिंग करने, उसको हम इसके ऊपर क्लियर वाटर स्टोरेज टैंक बनाओ फिर उससे वापस उसको लिफ्ट करो तो उसके लिए बिजली का ज्यादा खर्च आता है। हमने यह निर्देश दे दिया है कि अगर टेक्नीकली फिजिबल हो तो निश्चित रूप से उनके परीक्षण के बाद, उनकी रिपोर्ट आने के बाद अवश्य कार्यवाही करेंगे।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय यह बिल्कुल असत्य बयान अधिकारियों ने दिया है, मैं नहीं कहता हूं कि इन्होंने देखा है कि सुलियावास में टैंक जीएलआर बने हुए हैं पहाड़ी पर, सुलियावास में न तो टैंक बना हुआ है, जीएलआर नहीं बना हुआ है।

श्री महिपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): जीएलआर सुलियावास में नहीं बना हुआ है। जीएलआर नहीं बना हुआ है, सुलियावास में तो ट्यूबवैल खोदे हैं।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ट्यूब वैल आपने 7 बताये हैं जबकि दो हैं। सुलियावास में दो ट्यूब वैल बने हुए हैं जबकि मंत्री महोदय 7 बता रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी बहुत जिम्मेदारी के साथ जवाब दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): जिम्मेदारी के साथ ही मैं कह रहा हूं साहब। आप उत्तर निकलवा लीजिये। इन्होंने कहा है कि सुलियावास में एक जोहड़ में 7 ट्यूब वैल बने हुए हैं.....

श्री महिपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): मैं गिना देता हूं, मैं बता देता हूं।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): मैं कह रहा हूं न।

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी स्पष्ट कर रहे हैं।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): मंत्री महोदय, दो बने हुए हैं और आपका ही उत्तर कह रहा है कि दांतारामगढ़ में दांता गांव में 17 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन आ रहा है जबकि 70 लीटर आना चाहिए और जिन तीन ट्यूब वैल की ये बात कर रहे हैं उनमें 10 प्रतिशत पानी नहीं है।

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी स्पष्ट कर रहे हैं।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): इसलिए मंत्री महोदय, मैं तो यह चाहता हूं कि 70 लीटर से कम जितने गांवों में हैं वो कब तक आप योजना उनकी बना देंगे?

श्री अध्यक्ष: जवाब सुन लीजिये। सुन तो लीजिये। स्पष्ट कर रहे हैं।

श्री महिपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): देखिये, जो मैंने कहा है, सुलियावास में आपका पहला ट्यूब वैल 1999 में खुदा था, दूसरा ट्यूब वैल 2000 में जोहड़ी में, तीसरा 2003 में, चौथा 2004 में, 2005 और 2008 में भी आपके सुलियावास रोड पर खुदे हैं। उसके अलावा ये तीन बस्तियों के टेलएंड के ट्यूबवैल और खोदे गये हैं।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): यहां तो पानी ही नहीं है। मंत्री महोदय, यहां तो पानी ही नहीं हैं। आपके वो सब बंद हैं, दो ट्यूब वैल चल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी ने यह थोड़े ही कहा है कि पानी है, इन्होंने कहा है खोदे हैं।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): नहीं, एक साल पहले खोदे हैं अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: खोदे तो हैं, सुनिये तो सही आप। आप पहले उनका जवाब सुन लीजिये।

श्री महिपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): देखिये, उसमें से एक अबेंडंड है और पाँच ट्यूब वैल में लो एवरेज से आ रहा है, पानी की आवक कम है। अब इनके यहां पानी ही नहीं है, इतना भू-दोहन हो गया है और दांतारामगढ़ डार्क जोन के एरिया में है और आस-पास से कहीं से भी पानी नहीं लाया जा सकता।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): सुलियावास में कोई पानी की कमी नहीं है। सुलियावास में आपने डीपनिंग कराई है उसमें सबसे बेस्ट पानी है। दांता से 4 किलोमीटर पर सुलियावास है और ये सब जितने भी गांव मैंने गिनाये हैं ये पहाड़ के इस साइड में हैं और उस साइड में पहाड़ में तीन किलोमीटर पर पानी की कोई कमी नहीं है इसलिए मैं तो आपसे इतना ही जानना चाहता हू कि इन गांवों के जहां 4 किलोमीटर में पानी है उनको पानी आप मापदण्ड के अनुसार 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से दिलाने के लिए कार्य योजना बनाने का निर्देश देकर के पानी दें। मेरा निवेदन यह है।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। विराजिये। श्री ओम बिरला। दे दिया जवाब।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): अध्यक्ष महोदय, नहीं, दिया कहां? अध्यक्ष महोदय, इनका 17 लीटर का आ रहा है। अध्यक्ष महोदय, 20 हजार की आबादी है, ये उत्तर तो दे दें।

श्री अध्यक्ष: दे दिया। एक प्रश्न और आ जाएगा। जवाब दे दिया उन्होंने।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): कब तक दे देंगे? इनका 17 लीटर आ रहा है।

श्री अध्यक्ष: शीघ्र।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): शीघ्र के लिए आप कह दें।

श्री अध्यक्ष: शीघ्र करायेंगे।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): शीघ्र, महीने-दो महीने में?

श्री अध्यक्ष: जितना शीघ्र संभव हो।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): 17 लीटर मिल रहा है। 17 लीटर भी कई हैण्डपम्प हैं इन हैण्डपम्पों में जहां पानी नहीं है।

श्री अध्यक्ष: एक प्रश्न और आ जाए। एक प्रश्न और आ जाने दीजिये। स्वास्थ्य मंत्री जी। चर्चा समाप्त करें। श्री ओम बिरला।

सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर की न्यूरो सर्जरी इकाई का विस्तार

172. श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) एस.एम.एस. हॉस्पिटल, जयपुर में वर्तमान में न्यूरो सर्जरी की कितनी यूनिट हैं? इनमें कितनी-कितनी शैय्याएं हैं तथा इनमें किस-किस स्तर के कितने चिकित्सक व नर्सिंग स्टाफ पदस्थापित हैं ? न्यूरो सर्जरी के कितने ऑपरेशन थियेटर हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) किसी न्यूरो सर्जरी एवं बाई-पास सर्जरी के रोगी के चिकित्सालय में भर्ती होने से औसतन कितने दिन में उसके ऑपरेशन की बारी आ जाती है? क्या इस हेतु कोई वरियता क्रम सूची बनाई जाती है? यदि नहीं, तो ऑपरेशन की वरियता का क्या आधार है? क्या सरकार वरियता निर्धारण अथवा कोई न्यूनतम या अधिकतम समय सीमा निर्धारण का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) एस.एम.एस. चिकित्सालय में कितनी गहन चिकित्सा इकाई हैं? इन इकाईयों के इंचार्ज किस-किस स्तर के चिकित्सक हैं? क्या प्रत्येक यूनिट में 24 घंटे मेडिसन रेजिडेंट एवं एनेस्थेसिया रेजिडेंट उपलब्ध रहते हैं? गत आठ माह में इनमें कितने रोगी भर्ती हुए तथा कितने रोगियों की मृत्यु हुई? यूनिटवार विवरण सदन की मेज पर रखें। क्या सरकार रोगियों की मृत्यु के लिए उत्तरदायी चिकित्सकों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या रोगियों की संख्या को देखते हुए उपलब्ध संसाधन पर्याप्त हैं? यदि नहीं, ता क्या सरकार इनमें वृद्धि/विस्तार करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

vkj/akt/21072009/1200/1g

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): (1) एस.एम.एस.हास्पिटल, जयपुर के न्यूरो सर्जरी विभाग में पाँच इकाइयां संचालित हैं। न्यूरो सर्जरी विभाग की इन इकाइयों में इकाईवार उपलब्ध शैय्याओं तथा इन इकाइयों में पदस्थापित चिकित्सकों का विवरण परिशिष्ट-1 के रूप में संलग्न है।

इस विभाग में नौ सीनियर रेजीडेंट तथा छह नर्स ग्रेड-प्रथम, 30 नर्स ग्रेड-द्वितीय तथा 11 नर्सिंग कर्मचारी अनुबन्ध के आधार पर कार्यरत हैं जो सभी पांचों इकाइयों का कार्य करते हैं। इन्हें इकाईवार कार्य वितरित किया हुआ नहीं है।

न्यूरो सर्जरी विभाग में तीन रूटीन के आपरेशन थियेटर तथा एक आपातकालीन आपरेशन थियेटर संचालित है।

(2) न्यूरो सर्जरी इकाई प्रथम में अन्य इकाइयों की अपेक्षा अधिक मरीज होने के कारण 15 दिवस से तीन माह की अवधि में आपरेशन की बारी आती है। अन्य इकाइयों में सात दिवस से एक माह की अवधि में आपरेशन की बारी आती है।

कार्डियोवस्कुलर एवं कार्डियोथोरेसिक सर्जरी विभाग में क्लोज हार्ट सर्जरी एवं ओपन हार्ट सर्जरी के आपरेशन किये जाते हैं। क्लोज हार्ट सर्जरी आपरेशन नियमित समय पर सम्पन्न हो जाते हैं जबकि ओपन हार्ट सर्जरी के आपरेशन के लिए छह से आठ माह की प्रतीक्षा सूची चल रही है।

अत्यन्त गम्भीर प्रकृति के मरीजों का उनकी स्थिति के अनुसार यथाशीघ्र आपरेशन किया जाता है। सामान्यतया आपरेशन की वरियता का आधार मरीज के भर्ती की तिथि एवं उसके रोग की प्रकृति के अनुसार निर्धारित होता है। चूंकि रोगी के आपरेशन के संबंध में संबंधित चिकित्सक द्वारा ही रोगी की स्थिति के अनुसार निर्णय लेना होता है, अतः वरियता निर्धारण अथवा न्यूनतम या अधिकतम समय सीमा राज्य सरकार के स्तर से निर्धारित किया जाना समुचित प्रतीत नहीं होता है।

(3) सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में आठ गहन चिकित्सा इकाइयां कार्यरत हैं। आचार्य स्तर के चिकित्सक इन इकाइयों के प्रभारी होते हैं। इन गहन चिकित्सा इकाइयों में सामान्यतया चिकित्सा अधिकारी तथा मेडिसिन विभाग एवं एनेस्थिसिया विभाग के रेजीडेंट उपलब्ध रहते हैं। एनेस्थिसिया के रेजीडेंट की कमी के कारण कुछ गहन चिकित्सा इकाइयों में आवश्यकता होने पर उन्हें काल पर तुरन्त बुला लिया जाता है।

गत आठ माह में मुख्य गहन चिकित्सा इकाइयों में भर्ती हुए मरीजों एवं उनकी मृत्यु का विवरण इस प्रकार है:-

गहन चिकित्सा इकाई	भर्ती रोगी	मृत्यु
मेडिकल	578	312
गेस्ट्रोएन्ट्रोलोजी	180	49
सर्जिकल	590	207
न्यूरो सर्जरी	1,091	418
कार्डियोलोजी	1,418	121
कार्डियक सर्जरी	472	62
कार्डियोथोरेसिक सर्जरी	452	40
पोलीट्रोमा	837	137

रोगियों की मृत्यु के संबंध में शिकायतें प्राप्त होने पर तथ्यों के आधार पर समुचित कार्यवाही की जाती है।

(4) रोगियों की दिनों-दिन बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए उपलब्ध संसाधनों की कमी महसूस की जा रही है। इस कमी को दूर करने हेतु सतत प्रयास किये जा रहे हैं।

श्री अध्यक्षः प्रश्नकाल समाप्त।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न पूछ लूं?

श्री अध्यक्षः समय देखिये।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई हैः-

(1) श्री कालीचरण सराफ, सदस्य की ओर से भरतपुर के बयाना में दिनांक 17.07.2009 को श्री रामेश्वर दयाल अग्रवाल की हत्या करने के प्रकरण से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(2) श्री विजय बंसल एवं 18 अन्य सदस्यों की ओर से भरतपुर के बयाना में दिनांक 17.07.2009 को श्री रामेश्वर दयाल अग्रवाल की हत्या करने के प्रकरण से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(3) श्री दिगम्बर सिंह एवं छह अन्य सदस्यों की ओर से भरतपुर के बयाना में दिनांक 17.07.2009 को श्री रामेश्वर दयाल अग्रवाल की हत्या करने के प्रकरण से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(4) श्री ग्यारसा राम कोली एवं 15 अन्य सदस्यों की ओर से भरतपुर के बयाना में दिनांक 17.07.2009 को श्री रामेश्वर दयाल अग्रवाल की हत्या करने के प्रकरण से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और

जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

(5) श्री बाबू लाल खराड़ी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र झाडोल की पंचायत समिति झाडोल के विद्यालयों में विद्यार्थियों को पुस्तकें वितरित नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(6) श्री वासुदेव देवनानी, सदस्य की ओर से अजमेर में सेना की भर्ती में दलालों के सक्रिय होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(7) श्री पेमाराम एवं एक अन्य सदस्य की ओर से पंचायत समिति धोद का स्वयं का कार्यालय भवन निर्माण करने के संबंध में।

(8) श्रीमती सूर्यकांता व्यास एवं आठ अन्य सदस्यों की ओर से निरन्तर तेजी से बढ़ रही महंगाई से समाज के हर वर्ग को हो रही कठिनाई के संबंध में।

(9) श्रीमती अनीता सिंह एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से गुर्जर आन्दोलन के दौरान दर्ज मामलों की समीक्षा करने के संबंध में।

(10) श्री राधेश्याम गंगानगर, सदस्य की ओर से गंगानगर सीवरेज प्रोजेक्ट की आमंत्रित की गई निविदा को निरस्त करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(11) श्री ज्ञानदेव आहूजा एवं सात अन्य सदस्यों की ओर से मुहाना जयपुर स्थित सचिवालय नगर में अव्यवस्था के संबंध में।

(12) श्री हनुमान बेनीवाल एवं चार अन्य सदस्यों की ओर से जिला अजमेर की पंचायत समिति भिनाय के ग्राम बांदनवाड़ा के निवासी श्रीमती गीता चौधरी पर दिनांक 9.7.2009 को कातिलाना हमला करने वालों पर कार्यवाही करने के संबंध में।

(13) श्री कल्याण सिंह एवं पाँच अन्य सदस्यों की ओर से खमनोर थाना ग्राम नेडच में दिनांक 03.12.2008 को हुए झगड़े पर पुलिस द्वारा अभी तक कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(14) श्री केसाराम चौधरी एवं आठ अन्य सदस्यों की ओर से जिला पाली के संस्कृत विद्यालयों में अध्यापकों के पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(15) श्रीमती किरण माहेश्वरी, सदस्य की ओर से राज्य में गैस की टंकी के अभाव में बढ़ रही कालाबाजारी एवं गैस चोरी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(16) श्री राजेन्द्र राठौड़ एवं एक अन्य सदस्य की ओर से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक ब्रिटिश पर्यटक से कुकर्म के आरोपी को गिरफ्तार नहीं करने के कारण राज्य सरकार पर की गई टिप्पणी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(17) श्री बंशीधर खण्डेला एवं सात अन्य सदस्यों की ओर से जिला सीकर के डी.एस.ओ. द्वारा बरती जा रही अनियमितता के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(18) श्री पुष्पेन्द्र सिंह एवं आठ अन्य सदस्यों की ओर से जिला पाली के कुम्भलगढ़

सेन्चुअरी वन्य जीव क्षेत्र में मवेशियों के चराने पर लगाई गई पाबन्दी को हटाने के संबंध में।

(19) श्री अमरा राम, सदस्य की ओर से राज्य के विभागों में गार्ड के पद पर नियुक्त किये जा रहे भूतपूर्व सैनिकों को सैनिक कल्याण विभाग एवं जिला कलक्टर के माध्यम से नियुक्त करने के संबंध में।

(20) श्री गुलाब चन्द कटारिया एवं तीन अन्य सदस्यों की ओर से उदयपुर के महाराणा भूपाल चिकित्सालय के बाल चिकित्सालय में आठ बालकों की मौत से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(21) श्री रामहेत सिंह यादव एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से तहसील मण्डावर के ग्राम सीलगांव के खसरा नम्बर 191 रकबा 27 बीघा 17 बिस्वा भूमि पर हरियाणा के व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से कब्जा करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अतः अनुमति देने में तो असमर्थ हूं। फिर भी प्रमुख प्रस्तावक माननीय सदस्य श्री पुष्पेन्द्र सिंह, श्री अमरा राम, श्री गुलाब चन्द कटारिया एवं श्री रामहेत सिंह यादव को अपने-अपने प्रस्ताव की विषय-वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्रीमती अनिता भदेल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र अजमेर दक्षिण स्थित रेलवे क्रासिंग संख्यया-48 बी पर ओवरब्रिज बनवाने के संबंध में।

(2) श्री अजय सिंह, सदस्य की ओर से राजस्थान आवासन मण्डल की मानसरोवर, जयपुर योजना की सैकड़ों बीघा भूमि न्यू पिंक सिटी गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड, जयपुर द्वारा अनियमितता कर राजस्व रिकार्ड में अपने नाम दर्ज कराने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(3) श्री सुखाराम नेतड़िया, सदस्य की ओर से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मेड़ता सिटी में विशेषज्ञ चिकित्सकों का पदस्थापन करने के संबंध में।

(4) श्री बाबूलाल बैरवा, सदस्य की ओर से जिला अलवर में किसानों को आवंटित कस्टोडियन भूमि की रजिस्ट्री पुरानी रेट पर करने के संबंध में।

(5) श्री ग्यारसा राम कोली, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बयाना में हो रही चोरी की घटनाओं को रोके जाने के संबंध में।

(6) श्री केसाराम चौधरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के कतिपय गांवों में ट्यूबवैल्स खोदने के संबंध में।

(7) श्री रामलाल गुर्जर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र आसींद में पानी एवं चारे की उत्पन्न विकट समस्या के संबंध में।

(8) श्री जगसी राम कोली, सदस्य की ओर से जिला सिरोही में मंडार के निकटवर्ती गांव गुंदवाड़ा में दिनांक 07.07.2009 को आये तूफान के पीड़ितों को सहायता प्रदान करने के संबंध में।

(9) श्रीमती किरण माहेश्वरी, सदस्य की ओर से राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की सभी श्रेणी की बसों में वरिष्ठ नागरिकों का किराया एवं आयु को कम करने के संबंध में।

(10) श्री शाले मोहम्मद, सदस्य की ओर से जिला जैसलमेर के नहरी क्षेत्र में विभिन्न चक आबादियों, गांवों, ढाणियों को जोड़ने वाली सड़कों/रास्तों के बीच पड़ने वाली नहरों/माइनरों पर पुल बनवाने के संबंध में।

(11) श्री बंशीधर खण्डेला, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र खण्डेला की कतिपय पंचायतों की पेयजल समस्या का समाधान करने के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा की गई सूचना को पढ ने की अनुमति होगी। श्री पुष्पेन्द्र सिंह।

Jkj/akt/12.10/1h/21.07.2009

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, प्वाइंट आफ इन्फोर्मेशन। एक मिनट। अध्यक्ष महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव के जरिये भी इस सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की...

श्री अध्यक्षः आपको समय दे दूंगा मैं बाद में।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट में खत्म कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, इस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने कल राजस्थान सरकार की कानून-व्यवस्था के बारे में जिस तरह तीखी टिप्पणी की है और यहां तक कह डाला...

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, स्थगन प्रस्ताव हो जाने दें, बाद में प्वाइंट ऑफ इन्फोर्मेशन आप बोलियेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): कि राजस्थान में कानून-व्यवस्था नहीं है। ऐसे में सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह डाला कि पुलिस अधिकारी...(व्यवधान)

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था को चलने दीजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह दुर्भाग्य है, और अध्यक्ष मकहोदय, इस तरह की टिप्पणी करने के बाद...

श्री अध्यक्षः स्थगन प्रस्तावों पर दी गई व्यवस्था को कृपया आप चलने दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): जिस सर्वोच्च न्यायालय ने, जो कानून बनाती है, जिसकी नजीर पर पूरा हिंदुस्तान चलता है उस सर्वोच्च न्यायालय की यह टिप्पणी राजस्थान

की जर्जर कानून-व्यवस्था के बारे में अपने आप इंगित कर रही है। किस सरकार के लिए सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है...

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, स्थगन प्रस्तावों पर चर्चा होने दीजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): इस सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, कृपया स्थगन प्रस्तावों पर चर्चा होने दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): नहीं अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं, चर्चा हो जायेगी..(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कोई सामान्य घटना नहीं है, यह कोई सामान्य विषय नहीं है जिसको आप इस प्रकार से ले रहे हैं। हमारे राजस्थान पर जिस प्रकार की कानून-व्यवस्था पर सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार के वर्शन दिये हैं और वह भी कितनी सी छोटी सी बात पर, छह महीने हो गये, उस अभियुक्त को गिरफ्तार करने के बारे में जो मेरे टाइम पर घटना हुई थी और एक ब्रिटेन की महिला के साथ बलात्कार हुआ था, सात दिन में हमने उसका चालान पेश किया, चार महीने में उसको आजीवन कारावास दिया मई के महीने में और उसके बाद जुलाई में वह सुप्रीम कोर्ट में जाकर के जमानत लेकर के बेल आउट हो गया था, उसने फिर से जाकर के सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील की और सुप्रीम कोर्ट ने 16.1 को, 19.1 के दिन इनको, सरकार को कहा है कि इसे गिरफ्तार करके पेश किया जाय। आज छह महीने हो गये, सुप्रीम कोर्ट ने छह महीने होने के बाद इस प्रकार की बात कही है उससे ज्यादा दुर्भाग्य....(व्यवधान)

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, कृपया आप विराजें। कृपया आप विराजें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): एक अभियुक्त, उदयपुर का नामजद अभियुक्त है, उसकी सम्पत्ति है, उसका सब कुछ और पुलिस इतनी सक्षम होने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट के आर्डर का छह महीने तक अगर अभियुक्त को नहीं पकड़ सके...

श्री अध्यक्षः कृपया आप विराजें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): तो जो कमेंट्स किये हैं कि ऐसी सरकार को सरकार में रहने का अधिकार नहीं, गृह मंत्री त्याग पत्र दें अगर आपकी पुलिस जो छह महीने तक गिरफ्तार नहीं कर सकती...(व्यवधान)

श्री अध्यक्षः कृपया आप विराजें, माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, कृपया आप विराजें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): आपके पास इतनी बड़ी फौज है, मैं आपसे निवेदन यह करना चाहता हूं कि जिस पुलिस के पास, जिस सरकार के पास आज छह महीने का समय गुजर जाय...

श्री अध्यक्षः कृपया आप विराजें। माननीय सदस्य, कृपया आप विराजें। कृपया सदन की कार्यवाही चलने दें। कृपया आप विराजें। माननीय सदस्य, कृपया आप विराजें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): और एक व्यक्ति को गिरफ्तार करके पेश नहीं कर सके, एक व्यक्ति को गिरफ्तार...

श्री अध्यक्ष : कृपया आप विराजें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): गिरफ्तार नहीं होगा उसकी सम्पत्ति तो नीलाम की जा सकती है, उसकी सम्पत्ति तो नीलाम हो सकती है।

श्री अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही चलने दें, माननीय सदस्य, विराजें। कृपया आप विराजें। कृपया आप विराजें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): यानि हमको एक मौका नहीं, छह महीने तक कितनी बार मौका दिया और सुप्रीम कोर्ट ने जब हमारे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जिस प्रकार से एक तरह से उनके सब के खिलाफ कार्यवाही करना चाहा...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कृपया आप विराजें, सदन की कार्यवाही चलने दें। (व्यवधान) कृपया आप विराजें, माननीय सदस्य, सदन की कार्यवाही चलने दें। कृपया आप विराजें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): केवल सात दिन का समय दिया, यह दुर्भाग्यशाली नहीं है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): [000]

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): 000

श्री प्रकाश चन्द चौधरी (बड़ी सादड़ी): 000

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय): 000 (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री पुष्पेन्द्र सिंह। श्री अमरा राम। श्री अमरा राम। (व्यवधान) श्री गुलाब चन्द कटारिया। श्री गुलाब चन्द कटारिया। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री रामहेत सिंह। श्री रामहेत सिंह।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं को पढ़ा हुआ मान लिया गया।

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय): 000

श्री अध्यक्ष: आज दिनांक 21 जुलाई,2009 को शून्य काल में बोलने हेतु 29 पर्चियां प्राप्त हुई हैं जिनमें शलाका द्वारा चार पर्चियां निकाली गई हैं जो निम्नवत हैं :-

1. श्री हरिसिंह रावत- विधायकों को पीडब्लूडी द्वारा दिये जाने वाले फर्नीचर की लिमिट को हटाये जाने के संबंध में।

2. श्री बहादुर सिंह- बयाना को पान की नगरी, खरैरी, वागरैन होते हुए जयपुर व दिल्ली बस सेवा शुरू कराये जाने के संबंध में।

---

[000] अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

3. श्री हेमसिंह भडाना- देवनारायण योजनान्तर्गत सरकार की मंशा एवं अतिविशिष्ट पिछड़ों को आरक्षण के संबंध में।

4. श्रीमती कमसा - भोपालगढ़ की सड़कों की जर्जर हालत के संबंध में। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह रावत। श्री हरिसिंह रावत। श्री बहादुर सिंह। श्री बहादुर सिंह। श्री हेमसिंह भडाना। श्री हेमसिंह भडाना। श्रीमती कमसा मेघवाल। श्रीमती कमसा मेघवाल। (व्यवधान)

समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन। श्रीमती जकिया। श्रीमती जकिया।

श्री करणसिंह (छबड़ा): 000

श्री अध्यक्ष: श्रीमती जकिया। (व्यवधान) श्रीमती सूर्यकांता व्यास। याचिका का उपस्थापन, श्रीमती सूर्यकांता व्यास।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री राजपाल सिंह शेखावत, श्री केसाराम चौधरी, श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा, श्री ज्ञानदेव आहूजा, श्री रामहेत सिंह, श्री अशोक परनामी । (व्यवधान)

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीय।

परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान 2009-10, अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान। श्री राजेन्द्र पारीक। श्री राजेन्द्र पारीक, उद्योग मंत्री।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 42- उद्योग के संसबंध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रूपये 77 करोड़ 20 लाख 79 हजार (अक्षरे रूपये सतत्तर करोड़ बीस लाख उन्यासी हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

श्री अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही एक घंटे के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 12.19 बजे एक घंटे के लिए स्थगित हुई।)

Lpm/akt/1310/1o/21.07.2009

(समय: 13.19 बजे)
(पुन: समवेत होने पर)

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, सभापति, पदासीन)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, बड़े दु:ख की बात है कि राज्य सरकार पर इस प्रकार की टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालय ने की है उसके बाद भी सरकार का इस प्रकार का व्यवहार और माननीय सभापति महोदय...

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): ...(व्यवधान)... मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहती हूं।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): सभापति महोदय, डी.आई.जी. टण्डन को इन्हीं लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के ...(व्यवधान)...

(आगे जारी....)

भीम/अरुण/21.7.09/13.20/1p

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ...(व्यवधान)... आगे की कार्यवाही नहीं हो सकती सभापति महोदय, ...(व्यवधान)...

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): ...(व्यवधान)... ये वही पार्टी है, इन्होंने डीआईजी टंडन को गिरफ्तार नहीं किया। ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मामला राजस्थान का ...(व्यवधान)...

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): इन्होंने सदन को गुमराह किया है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ये रहा सभापित महोदय, मैं टेबल कर देता हूं। ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ...(व्यवधान)... जिस तरह की बदनामी राजस्थान की सरकार की हुई है ...(व्यवधान)...

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है। ...(व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य: सरकार जवाब दे, सरकार को जवाब देना होगा। सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं है

डा. रघु शर्मा (केकड़ी):...(व्यवधान)... ये सदन की कार्यवाही को अकारण बाधित करने के लिए माननीय प्रतिपक्ष को ...(व्यवधान)...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ...(व्यवधान)... आने वाले पर्यटक इससे डरेंगे ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ...(व्यवधान)... ऐसी लचर कानून-व्यवस्था जिसके चलते आज पूरे विश्व में राजस्थान का नाक नीचे हुआ है सर नीचा हुआ है। मैं समझता हूं सभापति महोदय, ऐसी तल्ख टिप्पणी हमने आज तक नहीं सुनी जो सर्वोच्च न्यायालय ने दे दी इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं इस पर वक्तव्य आये सरकार की तरफ से। ...(व्यवधान)... सभापति महोदय, हमारी मांग है ...(व्यवधान)...

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): इस ऑर्डर को आप माननीय सदस्य, ...(व्यवधान)... सभापति महोदय, इस ऑर्डर को देखिये। ...(व्यवधान)...

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी आयी है वह शर्मनाक है। सरकार को बर्खास्त करो। ...(व्यवधान)...

श्री भंवरू खान (फतेहपुर): सभापति महोदय, हिन्दुस्तान की महिलाओं की तो इनको

चिन्ता नहीं है विदेशी महिलाओं की इनको ज्यादा चिन्ता है। भारत की महिलाओं की इनको कोई चिन्ता नहीं है इनको तो विदेशी महिलाओं की चिन्ता है। ...(व्यवधान)...

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय): सभापति महोदय, हिन्दुस्तान के अन्दर भी बहुत सी महिलाएं हैं जिनके साथ अत्याचार होते हैं उनकी इन्होंने कभी चिन्ता नहीं की और एक विदेशी महिला के लिए शोर मचा रहे हैं।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय सभापति महोदय, सुप्रीम कोर्ट ने जैसा प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य यह कह रहे हैं ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है। ये आदेश की प्रति मेरे पास है। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: अंकित नहीं हो।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): 000

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय): 000

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): 000

श्री करणसिंह (छबड़ा): 000

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): 000

श्री करणसिंह (छबड़ा): 000

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय): 000

श्री करणसिंह (छबड़ा): 000

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय): 000

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री सभापति: सदन की कार्यवाही एक घंटे के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनंतर सदन की कार्यवाही 13.26 बजे, 14.26 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

कैलाश/अरुण 21.07.2009 14.20 (1) **2e**

(14.26 बजे)

(पुन: समवेत् होने पर)

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष पदासीन)

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री अध्यक्ष: विराजिए ।

---

000 अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, दो घंटे लगातार सदन स्थगित हुआ और इसका कोई व्यक्तिगत कारण नहीं है। राजस्थान की सरकार की और राजस्थान की इमेज जिस प्रकार से कल की सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी के बाद खराब हुई है सारे माननीय सदस्य उस बात को कहना चाहते थे । हमारे माननीय सदस्यों ने, सचेतक महोदय ने, अन्य माननीय सदस्यों ने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था और अपनी बात कहना चाहते थे। लेकिन दुर्भाग्य पूर्ण ऐसी स्थिति बनी कि वह अपनी बात नहीं कह सके और सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पडी। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि कल की टिप्पणी में जिस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि राजस्थान में कानून का कोई मतलब नहीं है, राजस्थान में कानून का शासन नहीं है और हमारी बात मुख्य मंत्री तक पहुंचा देना । एक बार तो उन्होंने कहा कि जो अधिकारी थे उन अधिकारियों पर कार्यवाही भी सरकार करना चाहती थी । अध्यक्ष महोदय, यह छोटा मामला नहीं है इसमें केवल सरकार की इमेज खराब हुई है ऐसी बात नहीं है। राजस्थान की इमेज पूरी दूनियाभर में इस बात से खराब हुई और इसलिए हम उस पर चर्चा करना चाहते थे । हम पूछना चाहते थे कि सरकार ने क्या कार्यवाही की। सरकार की क्या गलती हुई जिसके कारण से सर्वोच्च न्यायालय को इस प्रकार की टिप्पणी करनी पडी। यह क्या मामला है, गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया है। हम तो यह जानना चाहते थे कि सरकार इतनी संवेदनशील तो जरूर होगी कि स्वयं सुओमोटो खडी होकर इस पर अपना वक्तव्य देगी ताकि सदन के माध्यम से सरकार अपनी स्थिति क्लियर कर सके और राज्य के ऊपर जो कलंक लगा है, यह जो टिप्पणी हुई है उस टिप्पणी का किस प्रकार से खंडन हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं 7 दिन का उन्होंने टाइम दिया है। एक मुलजिम को इतना बड़ा हमारा पुलिस का लवाजमा कितने तो डीजी आपने बना रखे हैं, कितने आईजी बना रखे हैं, कितना बड़ा तमाशा खड़ा कर रखा है और यह आप की सारी की सारी फोर्स एक आदमी को पकड नहीं सके जिसकी सम्पत्तियां हो, जो गेस्ट हाउस भी चलाता हो, जिनकी सारी सम्पत्ति हो और उसके बाद पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर सके। यह कोई मामला ऐसा नहीं है जिसमें सरकार को इतनी बडी मानहानि सहन करनी पडे और राजस्थान की इतनी बडी बदनामी हुई हो और इस प्रकार से एक तरह से नैतिक अधिकार गृह मंत्री महोदय आपका नहीं है लेकिन मैं आपसे चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, आप निर्देश दें कि राज्य सरकार इस मामले में स्थिति स्पष्ट करें । राज्य सरकार यह बताये कि उन्होंने क्या क्या कार्यवाही की है। राज्य सरकार यह बताये कि आगे क्या कार्यवाही करने जा रही है। राज्य सरकार बताये कि कौन कौन से अधिकारियों को जिम्मेदारी दी थी, कौन कौन से अधिकारी दोषी है और उन अधिकारियों पर राज्य सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है और सर्वोच्च न्यायालय में 7 दिन में राज्य सरकार क्या कर रही है और राजस्थान जो कि ट्युरिज्म का स्पोर्ट है इस एक स्टेटमेंट के कारण, एक वक्तव्य के कारण, एक टिप्पणी के कारण जो हमारी अप्रतिष्ठा हुई है उस अप्रतिष्ठा को कैसे दूर किया जा सकता है ....

श्री अध्यक्षः हुई नहीं है अब चर्चा से होती ही जा रही है, विराजिए ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): इसलिए उसको खत्म करने के लिये वक्तव्य आये। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं अध्यक्ष महोदय, इस पर आप मंत्री जी का वक्तव्य दिलाये ।

दुर्गा/त्रिपाठी 210709 **2f** 14-30

श्री अध्यक्षः बड़ी शांति से कल सदन चला और नियमानुसार सारी व्यवस्थाओं के साथ कार्य सम्पन्न हुआ, रात को साढे ग्यारह बजे तक बैठकर चला और समाचार पत्रों में, मीडिया ने आज इस बात की काफी तारीफ की कि कई दिनों बाद आज बड़ा बढ़िया तरीके से सदन चला। पता नहीं मुझे, उस तारीफ की नजर लगी, क्या हुआ। लेकिन जो कुछ हुआ उसको भुलाकर के मंत्रीजी आपसे निवेदन करुंगा जो भाजपा के उप नेता ने बात रखी है उस पर आप अपनी ओर से कहें।

श्री विजय बंसल (भरतपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्षः आप कृपया, विराजिये, माननीय सदस्य, कृपया आप विराजिये। मंत्रीजी जवाब देने के लिये खड़े हुए हैं। आपके उप नेता ने मांग की, उसको मैंने स्वीकार कर लिया। (व्यवधान) कृपया, अंकित नहीं होगा। मेहरबानी करिये, आसन पांवों पर है, विराज जाएं।

श्री विजय बंसल (भरतपुर): [000]

श्री अध्यक्षः कृपया विराज जाएं, अंकित नहीं होगा, अंकित नहीं होगा।

श्री विजय बंसल (भरतपुर): 000

श्री अध्यक्षः अंकित नहीं होगा। ध्यान आकर्षित नहीं हो रहा, नियमों की थोड़ी जानकारी रखें आप। गृह मंत्रीजी।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सुश्री सुजन मार्टिन, जिसके साथ यह वाकया गुजरा, 09/01/2008 को। थाना अम्बा माता, उदयपुर में 376 में केस रजिस्टर हुआ। मोटे तौर पर मैं तत्कालीन गृह मंत्री आदरणीय कटारिया साहब को इस बात की मुबारकबाद देता हूं कि इनके अथक प्रयत्नों से मुलजिम भी पकड़ा गया, वक्त पर चालान भी पेश हुआ और फास्ट ट्रेक अदालत ने बहुत ही कम समय में उसको सज़ा भी दी। बात यहीं खत्म नहीं होती। आखिरी तक मुलजिम को सज़ा दिलाने का कर्तव्य सरकार का होता है। वह क्या कारण थे कि हाई-कोर्ट में उसकी जमानत हो गई। वह किस जमाने में हुई। उसके लिये जिम्मेदार कौन था। यदि आप जिम्मेदार थे तो मुझसे आपको गृह मंत्री की हैसियत से इस्तीफा मांगने का हक ही नहीं है। दूसरा निवेदन करना चाहता हूं। (व्यवधान) मेरा आपसे एक अर्ज है, मेरी बात पहले पूरी सुन लें। मैं आपकी पूरी बात सुनुंगा। मेहरबानी

[000] अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

करके डिस्टर्ब न करें। यह पहला वाकया नहीं ह। विदेशी औरतों के साथ अजमेर में भी घटना हुई, अलवर में भी हुई और जोधपुर में भी हुई और कई जगह हुई। यही नहीं, जैसा कि बताया गया कि उसकी जमानत नामंजूर कर दी गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 16/01/2009 को, उससे लेकर आज तक पूरे 6 महीने हो गये। 6 महीने में वाकई राजस्थान की पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर पाई। यह राजस्थान की पुलिस का जबरदस्त लेप्स था, जिसको मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन यह पहला मौका नहीं है। टण्डन डी.आई.जी. का नाम सुना होगा, क्या हुआ। (व्यवधान) उड़ीसा के डी.आई.जी. थे, मोहन्ती। उनका लड़का फरार, बलात्कार में पकड़ा गया, भाग गया, उसका क्या हुआ। हजारों की तादाद में ऐसे कैसेज हैं और मैं आपको एक केस ऐसा सुनाता हूं, भवानी मण्डी में।

श्री अध्यक्षः जोर से नहीं, जरा धीरे बोलिये आप। स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा धीरे बोलिये। थोड़ा धीरे बोलिये।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आपने मुझे चेता दिया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): इस सब्जेक्ट पर आओ ना।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): हां धन्यवाद, मेडिकल मिनिस्टर हैं आप।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): हां, मैं साथ बैठा हूं।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): भवानी मण्डी के चैअरमेन, नगरपालिका के चैअरमेन, रामगोपाल...। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): आप उस पर आएं ना।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मैं उसी पर आ रहा हूं। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): आप बोल रहे थे तो ये चुप बैठे थे।

श्री अध्यक्षः कृपया व्यवधान नहीं, कृपया व्यवधान नहीं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): आप चाहते हैं कि चर्चा हो या आप चाहते हो कि बम्बार्टमेंट हो, आप चाहते हो कि बम्बार्टमेंट हो, यही आप चाहते हो कि हाउस को जानकारी दें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, कृपया व्यवधान नहीं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): आपका हाउस में वास्तव में जानकारी देकर के राजस्थान पर लगे हुए कलंक को धोने का मन है या एक दूसरे पर छींटाकशी करने का मन है। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): धोने का ही मन है।

श्री अध्यक्षः आप कृपया विराजिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): न केवल इतना ही है। हाई-कोर्ट में अगर उसको बैल मिल गई उसका अगर यह हाउस दोषी मुझे मानता है तो मुझे यहीं सज़ा दो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः आप विराजें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): अगर आपकी यह मानसिकता हो कि मेरे कारण से हाई-कोर्ट में, तो मैं चाहता हूं कि आप यहीं सज़ा सुना दो मुझे अभी, सब लोग मिलकर के हाई-कोर्ट में जमानत होना और नहीं होना, मेरे अधिकार क्षेत्र में था और मैं अगर उसका दोषी हूं तो यह सदन छोड़ करके मैं अभी चला जाऊंगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः आपका नाम थोड़े ही किसी ने लिया है। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): उसके बाद आगे अपील में जाते ना आप। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): केवल बातें बनाने से नहीं चलेगा। अगर बात कहना चाहते हो तो ईमानदारी से कहो कि कहां-कहां हमने क्या-क्या प्रयास किये और उन प्रयासों में हमें सफलता नहीं मिली, आगे हम यह प्रयास कर रहे हैं।

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): सुप्रीम कोर्ट में सरकार जाती ना। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): आगे हम यह प्रयास कर रहे हैं। हमारे जमाने में क्या हुआ, उसके जमाने में क्या हुआ। (व्यवधान)

श्री प्रकाश चन्द चौधरी (बड़ी सादड़ी):सम्मानीय अध्यक्षजी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप जब गृह मंत्री थे, आप राजस्थान के गृह मंत्री थे। (व्यवधान) बलात्कार का केस था। (व्यवधान) बड़ी सादड़ी से प्रधान, उप प्रधानृ 376 बलात्कार के केस में थे उस समय यहां पर 6 महीने तक उन व्यक्तियों को गिरफ्तार नहीं किया। (व्यवधान)

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): अध्यक्ष महोदय, जब ये गृह मंत्री थे, अधिकारी इनकी बात नहीं मानते थे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ये क्या बोल रहे हैं, सब खड़े हो जाएं ना। (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः अंकित नहीं होगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): 000[1]

श्री अध्यक्षः अंकित नहीं होगा।

श्री प्रकाश चन्द चौधरी (बड़ी सादड़ी): 000

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): 000

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): 000

श्री अध्यक्षः अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) किसी भी माननीय सदस्य का अंकित नहीं होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): 000

[1] 000 अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (बांसवाड़ा): 000

श्री नगराज (धरियावद): 000

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): 000

श्री अध्यक्ष: गृह मंत्रीजी का बयान आ रहा है। माननीय सदस्य कृपया विराजें। अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्यगण, कृपया विराजें, किसी का भी अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री प्रकाश चन्द चौधरी (बड़ी सादड़ी): 000

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, विराजिये, माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन कर रहा हूं।

श्री रामलाल गुर्जर (आसींद): 000

श्री अध्यक्ष: आपके उप नेता बोल रहे हैं, आप बीच में। (व्यवधान) मुझे ऐसा लगने लगा है कि सदन की कार्यवाही बाद में चले और पहले ट्रेनिंग चालू करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): 000

श्री अध्यक्ष: विराजें, आप तो विराजें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं तो इतना ही कह रहा था।

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): 000

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा।

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): 000

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है, माननीय सदस्य। (व्यवधान) विराज जाओ। अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान) फिर क्या अर्थ है। फिर क्या अर्थ है। (व्यवधान)

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आसन पांवों पर है। आप विराज जाएं। इस तरह से सदन नहीं चल पायेगा। विराजिये, विराजिये, आप विराज जाइये। कृपया विराज जाएं। आप क्या कह रहे थे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, मैं इतनाही कह रहा था कि माननीय गृह मंत्री महोदय से मैंने इतना ही कहा था कि इस विषय में क्या कार्यवाही सरकार ने की है वह स्पष्ट करें। यह कहना कि डी.आई.जी. टण्डन भाग गया और हजारों आदमी भाग गये। इसलिये यह भागें तो कोई गलत नहीं है। यह कहना किसी प्रकार से उचित नहीं है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आप ठीक कह रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): इसलिये मैं मांग कर रहा हूं, आप उस बात पर आयें-एक। दूसरा लांछित...। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विराजिये, विराजिये।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। पर मैं एक बात आपसे यह भी निवेदन कर दूं कि मैं वाकई टू-द-पाइण्ट।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (बांसवाड़ा): 000[2]

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मैं वकई इस घटना के ऊपर बोलना चाहता था, टू-द-पाइण्ट बोलना चाहता था लेकिन जिस प्रकार के भाषण यहां पर हुए और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो यह बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान की सरकार को नकारा बता दिया, यह भी बता दिया कि राजस्थान की सरकार को प्रशासन करने का हक नहीं है। यह बातें तो गलत कहीं। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैं पढ़कर बताता हूं, मैं पढ़कर बताता हूं। (व्यवधान)

Vps- Akt- 21.07.2009-14.40-2g-1

राजेन्द्रजी राठौड़ साहब, अंग्रेजी में है।

"It has come to our notice that in the last one week, there has been large destruction of public and private properties and no preventive action appears to have been taken and, unfortunately, it does not prima facie appear that any action has been taken against the offenders who were responsible for the destruction of such properties. As the electronic media shows, the offenders feel that they have done some very heroic or laudable thing ....."

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): क्या पढ़ रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, यह? ...(व्यवधान)...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): क्या पढ़ रहे हैं? क्या पढ़ रहे हैं यह? गुर्जर आन्दोलन का पढ़ रहे हो आप। ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): क्या पढ़ रहे हैं। यह कौनसी ...(व्यवधान)... यह मामले को बढ़ाना चाहते हैं। यह कौनसी भावना भड़काना चाहते हैं? कौनसे आन्दोलन की बात कर रहे हैं? ...(व्यवधान)...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यह गुर्जर आन्दोलन का पढ़ रहे हैं यहां पर ...(व्यवधान)...

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मुझे बोलने दीजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): कौन से आन्दोलन की बात कर रहे हैं? ...(व्यवधान)...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): गुर्जर आन्दोलन कहां पढ़ रहे हो? ...(व्यवधान)...

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मुझे बोलने दीजिए साहब। ...(व्यवधान)...

---

[2] 000 अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? यह सुप्रीम कोर्ट में इस केस को लेकर जो बात हुई, वह बात हम कर रहे हैं। यह रिसेंट ऑकरेंस पर क्यों नहीं बोलते? यह आज की घटना पर क्यों नहीं बोलते? ...(व्यवधान)...

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मुझे बोलने दीजिए न। ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): जिस घटना पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? यह क्यों नहीं कहते यह? यह कोई बात हुई क्या? ...(व्यवधान)...

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): बोलने दीजिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यह क्या माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पर सदन में चर्चा हो चुकी है इसमें ...(व्यवधान)...

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, " ....because they show their beaming faces when TV camera is focused on them." ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बात पर सदन में कई बार चर्चा हो चुकी है। यह क्या कहना चाहते हैं? ...(व्यवधान)...

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): इस पर सदन में चर्चा हो चुकी है। ...(व्यवधान)...

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सुनो तो सही आप। यह तो कोई बात नहीं हुई। ...(व्यवधान)...

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): यह रिकार्ड पर पहले आ चुका है। ...(व्यवधान)...

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): यह तो कोई बात नहीं हुई। यह तो कोई बात नहीं हुई। ...(व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य: माननीय अध्यक्ष महोदय, राजेन्द्रजी बीच में वह कर लेते हैं ...(व्यवधान)...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): इसका मजाक मत बनाओ। यह इतना बड़ा लांछन लगा है, इसका मजाक मत बनाइये। इनको कहिये कि यह क्या है? ...(व्यवधान)...

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आप मेरी बात सुनिये। ...(व्यवधान)... देखिये, एक मिनट मेरी बात सुनिये। इस तरीके के जो, सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा यह पहली बार नहीं कहा है। गुर्जर आन्दोलन के टाइम सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा था अगर वह मैं पढ़कर सुनाता हूं तो क्या हाल होगा? क्या हाल होगा बताइये आपका? तो इसलिए इन बातों को छोड़िये। हर आदमी जानता है ...(व्यवधान)...

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): आपको ...(व्यवधान)...

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह ...(व्यवधान)... जो अभी हुआ, अभी हुआ वह बता दीजिए। ...(व्यवधान)...

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): माननीय कटारिया साहब, मैं पहले ही यह स्वीकार कर चुका हूं कि निश्चित तौर पर इस पूरे मामले पर हमारी पुलिस व्यवस्था में लचरनैस आयी है। जितना उनका कर्तव्य बनता था वह कर्तव्य की पालना वह नहीं कर पायी। मैं पहले स्वीकार कर चुका हूं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है और जो कुछ मैं कर रहा हूं वह भी मैं आपको बता रहा हूं लेकिन आपको भी कुछ न कुछ मेरी बात सुनना पड़ेगा। ...(व्यवधान)...

भवानीमंडी के चेयरमैन को जिसके खिलाफ, भवानीमंडी के चेयरमैन को जिसके खिलाफ 7 एन.डी.पी.एस. के केसेज थे, पाँच साल तक आपने उसको गिरफ्तार नहीं होने दिया और म्यूनिसिपैलिटी का काम होने दिया, यह मुझे बतायें ...(व्यवधान)...

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): यह माननीय अध्यक्ष महोदय, विदेशी महिला से बलात्कार के मामले में जो बात कह रहे हैं ...(व्यवधान)...

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मुझे यह बतायें ...(व्यवधान)... मुझे यह बतायें कि अमित ...(व्यवधान)... जो कि 302 का ...(व्यवधान)... मुलजिम था, उसको सात साल का ...(व्यवधान)... पैरोल ...(व्यवधान)... वसुन्धरा राजे ने क्यों दिलाया? ...(व्यवधान)...

(सदन में भारी व्यवधान व शोरगुल)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, बिलकुल गलत बात है। ...(व्यवधान)... अगर इस पर बहस करनी है तो ...(व्यवधान)... बहस करनी है क्या? ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): 000

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): 000

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): 000

श्री प्रकाश चन्द चौधरी (बड़ी सादड़ी): 000

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): 000

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है किसी का। अंकित नहीं हो रहा है किसी का। ...(व्यवधान)...

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): 000

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): 000

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): 000

श्री सुखराम (बसेड़ी): 000

---

[000] : अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय): 000

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है। कृपया शांति बनाये रखें ।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): 000

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): 000

श्री करणसिंह (छबड़ा): 000

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): 000

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय): 000

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

(सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

शिव/चौहान/**21.7.2009/14.50/2h**

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आसन पांवों पर, कृपया बिराजें। माननीय सदस्य, किसी का अंकित नहीं हो रहा है अन्य का, कृपया बिराजें। आसन पांवों पर है। ..(व्यवधान)... माननीय सदस्य, आसन पांवों पर हैं, बैठ जाइये। ..(व्यवधान)... कृपया बिराजें। कृपया बिराजें। ..(व्यवधान)... मुझे नहीं लगता है कि आसन की तरफ से मजबूरी में, सारे निवेदन के बावजूद भी माननीय सदस्य सदन को चलाने के मूड में नहीं लग रहे। कृपया व्यवस्था बनाये रखिये। बड़ी मुश्किल से तीन दिन तक जो चला, फिर वही चालू हो गया। ..(व्यवधान)...कृपया बिराजें, कार्यवाही चलने दें। कृपया कार्यवाही चलने दें। ..(व्यवधान)... कृपया स्थान ग्रहण करें। आपकी मांग को मैंने स्वीकार कर लिया था, स्टेटमेंट के लिये भी मैंने निवेदन कर दिया था, उसके बावजूद कोई नतीजा नहीं निकल रहा। राजस्थान की जनता देख रही है माननीय सदस्यगण, जो सदन में हो रहा है। ..(व्यवधान)... मुझे लगता है आप सदन चलाने के मूड में नहीं है। ..(व्यवधान)... माननीय सदस्यगण, कृपया बिराजें। ..(व्यवधान)... सदन की कार्यवाही चलने दें। राजस्थान का मीडिया देख रहा है, राजस्थान की जनता देख रही है, कृपया सदन चलने दें। ..(व्यवधान)... कृपया सदन चलने दें। महत्वपूर्ण उद्योग एवं पर्यटन विभाग की मांगों पर चर्चा होनी है, कृपया सदन चलने दें। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि सदन चलने दें। ..(व्यवधान)...

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा भारी शोरगुल एवं नारेबाजी)

आप लोग बिराज जायें। सदन की कार्यवाही चलने दें वरना ..(व्यवधान)...होकर मजबूर होकर मुझे कार्यवाही स्थगित करनी पड़ेगी। ..(व्यवधान)... कृपया बिराजें आप लोग। ..(व्यवधान)...

श्रीमती बीना काक, पर्यटन मंत्री अनुदान की मांग संख्या-47-पर्यटन मतदान हेतु प्रस्तुत करेंगी।

अनुदान की मांग
मांग संख्या-47- पर्यटन की प्रस्तुति

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि मांग संख्या-47- पर्यटन के संबंध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में समाप्त किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 41,89,71,000/-(इकतालीस करोड़ नवासी लाख इकहत्तर हजार) तक राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

मांग संख्या-42-उद्योग का पारण

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि मांग संख्या-42- उद्योग के संबंध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 77,20,79,000/- (सतहत्तर करोड़ बीस लाख उन्नासी हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-47-पर्यटन का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-47- पर्यटन के संबंध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में समाप्त किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 41,89,71,000/-(इकतालीस करोड़ नवासी लाख इकहत्तर हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

सदन की बैठक बुधवार, दिनांक 22 जुलाई, 2009 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 14.55 बजे 22 जुलाई, 2009 के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)